अध्याय –तीन

विभाग के अन्तर्गत आने वाले निगम, उपक्रम व संस्थाओं का विवरण

1.5 मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम

1.5.1 निगम का गठन –

राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट, 'प्रोडक्शन फॉरेस्ट्रीः मैन–मेड फॉरेस्ट्स' (1972) के प्रतिवेदन अनुसार Companies Act, 1956 (वर्तमान में Companies Act, 2013) के प्रावधानों के अन्तर्गत म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. की स्थापना दिनांक 24 जुलाई, 1975 को किया गया था। स्थापना के समय वन विकास निगम की अधिकृत अंशपूंजी राशि रु. 20.00 करोड़ की थी। म.प्र. राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसरण में दिनांक 01 अप्रैल 2001 को मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लि. का विभाजन, 40:60 के अनुपात में किया जाकर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि. एवं म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. (क्रमशः) के मध्य किया गया। 31 अक्टूबर 2006 से निगम की अधिकृत अंशपूंजी राशि रु. 20.00 करोड़ से बढ़ाकर राशि रू. 40.00 करोड़ की गई। वर्तमान में निगम की प्रदत्त अंशपूंजी रु. 39.32 करोड़ है, जिसमें से केन्द्र शासन का अंशदान रु. 1.39 करोड़ एवं मध्यप्रदेश शासन का अंशदान रु. 37.93 करोड़ है।

1.5.2 गतिविधियां एवं उपलब्धियां

वन विभाग द्वारा हस्तांतरित किये गये वनक्षेत्रों में वर्ष 1975 से 2019 तक सागौन/बांस/अन्य वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण तालिका क्रमांक– 1.39 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक – 1.39

क्र.	परियोजना मण्डल	कार्य क्षेत्र (हे.)	उपचारित वनक्षेत्र (हे.में)	प्रजातिवार वृक्षारोपण (हे.में)		
				सागौन	बांस	अन्य
1	खण्डवा	35,284.510	25038	24401	237	400
2	सीहोर	26,518.859	11218	10739	12	467
3	विदिशा–रायसेन	40,538.160	26524	26117	308	99
4	बरघाट	50,584.017	38881	31030	6081	1770
5	छिंदवाडा	28,104.010	22451	22052	293	106
6	लामटा	52,449.379	44705	34688	9245	772
7	रामपुर–भतौडी	33,714.559	38979	25906	10525	2548
8	कुण्डम	39,883.440	37948	30618	4983	2347
9	मोहगांव	65,954.360	51840	43892	6863	1085
10	रीवा–सीधी	19,184.138	9434	6785	2076	573
11	उमरिया	31,800.680	29566	25364	4051	151
	योग	**424,016.112**	**336584**	**281592**	**44674**	**10318**

डिपॉजिट मद के अन्तर्गत विगत 4 वर्षों तक विभिन्न संस्थानों में उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि एवं वित्तपोष से 31.43 लाख पौधों का रोपण किया गया है।

विगत 4 वर्षों के डिपॉजिट वृक्षारोपण का परियोजना मण्डलवार विवरण तालिका क्रमांक–1.40 मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक – 1.40

पौधे–संख्या में

मंडल का नाम	संस्था का नाम	2017	2018	2019	2020
छिन्दवाड़ा	(WCL)	125,000	200,000	135,000	
	(NHAI)	-	13,520		
	(Railway)			44,440	
उमरिया	(SECL)	185,000	213,000	1,47,000	322,500
	Railwa				32,500
सीधी	(NCL)	299,750	248,500	4,30,450	323,385
	(NTPC)	30,000	25,000		10,000
	(NTPC वी. नगर) NHAI			20,000	
लामटा	(MOIL Manganese Ore India Ltd.)	45,000	-	3,520	
	(TAMRA Transparency, Auction Monitoring and Resource Augmentation) Malajkhand				
	(Railway)			34,753	
रामपुर भतौड़ी	(AKVN)	17,000	19,310		
	(NHAI)	-	10,880		
	(Coca cola)			2,700	
विदिशा–रायसेन	(AKVN)	4,000	-	20,000	
	(NHAI)			74,400	
खंडवा	(Singhaji Taap grih)	36,200	-	28,600	
	(NTPC)				
बरघाट	(NTPC)	-	10,500	6,664	
	(NHAI)	-	12,400		
सीहोर	(AKVN)	10,000	-	2,000	
	योग	**7,51,950**	**7,53,110**	**9,49,527**	**6,88,385**
	महायोग	**3,142,972**			

- निगम के अधिपत्य के वनभूमि में डिपॉजिट मद के अन्तर्गत हैवल्स इंडिया, सामी लैब, एन.टी.पी.सी. द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्त पोष से वर्ष 2016 से 2020 तक 1714 हे. वनभूमि में सागौन, बांस एवं बीजा प्रजाति वृक्षारोपण किया गया है विवरण तालिका क्रमांक–1.41 मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक– 1.41

क्र.	परियोजना मण्डल	संस्था का नाम	योजना का नाम	वृक्षारोपण क्षेत्र (हे.में)				
				2017	2018	2019	2020	योग
1	खण्डवा	NTPC	कार्बन सिंक	52	85	85	-	330
2	सीहोर	NTPC	कार्बन सिंक	97	70	81	-	460
		हैवल्स इंडिया	निगमित सामाजिक दायित्व	-	66	-	-	66
3	विदिशा–रायसेन	हैवल्स इंडिया	निगमित सामाजिक दायित्व	-	-	222	185	407
4	बरघाट	NTPC	कार्बन सिंक	34	-	-	-	86
5	लामटा	सामी लैब	निगमित सामाजिक दायित्व	-	12	12	15	39
6	रीवा–सीधी	NTPC	कार्बन सिंक	115	108	80	23	326
	योग			298	341	480	223	1714

- एन.पी.वी. मद के अन्तर्गत शासन से प्राप्त वित्तपोष से 7 वर्षीय योजना के अन्तर्गत विशेषज्ञ संस्था के रूप में विदिशा–रायसेन, सीहोर एवं खण्डवा परियोजना मण्डल में वनमण्डल से प्राप्त वनक्षेत्र में वर्ष 2020 में 2275 हे. में बिगडे वनो के सुधार कार्य के तहत वृक्षारोपण किया गया है।

तालिका क्रमांक– 1.42

वर्ष 2020 मे कैम्पा (एन.पीव्ही.) मद सें RDF क्षेत्रों में वृक्षारोपण

क्र.	परियोजना मण्डल	क्षेत्रफल (हे.में)	पौधा संख्या (लाख में)
1	खण्डवा	580	8.46
2	विदिशा–रायसेन	1420	20.26
3	सीहोर	275	3.58
	योग	**2275**	**32.30**

1.5.3 वर्ष 2020–21 में आगामी वर्ष के लिये निर्धारित लक्ष्यः

तालिका क्रमांक– 1.43

वर्ष 2021 में रोपणियों में सागौन रूटशूट का लक्ष्य

(रूटशूट लाख में)

क्र.	परियोजना मण्डल	रोपणी का नाम	बेड संख्या	सागौन रूटशूट	आवश्यकता (अनुमानित)	अतिरिक्त (अन्य मण्डलों के लिये) रूटशूट
1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	राजौर, नर्मदानगर	11000	55.00	44.71	10.29
2	सीहोर	मट्ठागांव	6200	31.00	36.15	-5.15
3	विदिशा–रायसेन	पैगुआई	10000	50.00	31.89	18.11
4	बरघाट	ढूटी, हिरी. ंसंगम	2000	10.00	6.61	3.39
5	छिंदवाड़ा	लावाघोघरी	1500	7.50	8.95	-1.45
6	लामटा	कंटगा, कनकी	4750	23.75	12.60	11.15
7	रामपुर–भतोड़ी	सांपना	1200	6.00	5.00	1.00
8	कुण्डम	बेलकुंड	3000	15.00	13.43	1.57
9	मोहगांव	कंचनगांव	3500	17.50	14.08	3.42
10	रीवा–सीधी	जियावन	500	2.50	6.83	-4.33
11	उमरिया	चंदिया	2500	12.50	15.00	-2.50
	योग	**14**	**46150**	**230.75**	**195.25**	**35.50**

अतिरिक्त सागौन रूटशूट 48.93 लाख में से 4 परियोजना मण्डलों में कमी 13.43 लाख सागौन रूटशूट की पूर्ति समीप के परियोजना मण्डल से की जायेगी। अतः अन्य वन मण्डलों के लिये प्रदाय हेतु 35.50 लाख रूटशूट उपलब्ध रहेगें।

कटंगा नर्सरी, लामटा परियोजना मंडल बालाघाट, फोटो दिनांक 20.05.2020

तालिका क्रमांक– 1.44

वर्ष 2021 में वृक्षारोपण लक्ष्य

क्र.	परियोजना मण्डल	वर्ष 2020 में प्रस्तावित सागौन रोपण हेतु अनुमानित उपलब्ध क्षेत्र (हे. में.)		लक्ष्य पौधा संख्या (लाख में)
		ग्रॉस	नेट	
1	खण्डवा	1322	1100	27.50
2	सीहोर	1073.232	850	21.25
3	विदिशा–रायसेन	553.142	450	11.25
4	बरघाट	297.00	215	5.38
5	लामटा	547.00	450	11.25
6	कुण्डम	525.00	450	11.25
7	मोहगांव	575.040	450	11.25
8	रीवा–सीधी	220.990	200	5.00
9	छिन्दवाड़ा	400.00	200	5.00
10	रामपुर–भतौड़ी	400.00	200	5.00
11	उमरिया	692.305	600	15.00
	योग	**6605.709**	**5165**	**129.13**

* वर्ष 2020–21 के विदोहन एवं पुनरूत्पादन कार्य के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार के पास लंबित है। निर्धारित किये गये रोपण लक्ष्य अनुमानित है, भारत सरकार से पातन की अनुमति प्राप्त होने पर ही उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण लक्ष्य वर्ष 2021 की उपलब्धि प्राप्त होना संभव हो सकेगी।

तालिका क्रमांक– 1.45

वर्ष 2021 में डिपॉजिट वृक्षारोपण लक्ष्य

क्र.	परियोजना मण्डल	संस्थान	लक्ष्य पौधे संख्या (लाख में.)
1	रीवा–सीधी	NCL	2.42
2	छिन्दवाड़ा	WCL (महाराष्ट्र)	1.50
		WCL (महाराष्ट्र)	4.00
3	उमरिया	SECL	2.20
4	छिन्दवाड़ा, बरघाट, रामपुर–भतौड़ी	राष्ट्रीय सड़क विकास प्राधिकरण (NHAI)	0.11
5	विदिशा–रायसेन	म.प्र. सड़क विकास निगम	0.31
	योग		**10.54**

तालिका क्रमांक–1.46

वर्ष 2021 में बिगड़े वनों के सुधार के अन्तर्गत कैम्पा (एन.पी.वी.) मद में वृक्षारोपण

क्र.	परियोजना मण्डल	प्रस्तावित उपचारित क्षेत्रफल (हे.में)	लक्ष्य पौधा संख्या (लाख में)
1	खण्डवा	770	10.12
2	सीहोर	745	9.80
3	विदिशा–रायसेन	880	11.57
4	छिन्दवाड़ा	300	3.95
	योग	**2695**	**35.44**

तालिका क्रमांक–1.47

विगत चार वर्षों की राजस्व प्राप्ति

क्रमांक	वर्ष	राजस्व प्राप्ति (करोड़ रू.)
1	2017–18	246.31
2	2018–19	241.04
3	2019–20	267.00
4	2020–21	114.98 (लगभग)

केन्द्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन भोपाल द्वारा वर्ष 2020–21 हेतु पातन की अनुमति न मिलने एवं कुछ कार्य आयोजनाएं स्वीकृत करने में विलंब के फलस्वरूप राजस्व प्रभावित हुआ है।

1.5.4 लीज़ रेन्ट एवं डिविडेंडः

म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक 25/11/79/10/2 दिनांक 14.11.2019 के परिपालन में वन विभाग से वन विकास निगम को हस्तांतरित वनक्षेत्र (क्रॉप–I) में स्वीकृत कार्य आयोजना के अनुसार विदोहित काष्ठ विक्रय से प्राप्त नेट राजस्व को म.प्र. शासन को लीज़ रेन्ट के रूप में भुगतान किया जाता है। वन विकास निगम को क्रॉप–I से प्राप्त राजस्व की 2 प्रतिशत राशि कमीशन के रूप में प्राप्त होती है। निगम द्वारा म.प्र. शासन वन विभाग को वर्ष 2018–19 तक कुल राशि रु. 892.25 करोड़ लीजरेंट का भुगतान/समायोजन किया गया है।

- विगत 3 वर्षों में शासन को भुगतान किये गये लीज रेंट का विवरण तालिका क्रमांक 1.48 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक –1.48

वित्तीय वर्ष	लीज़ रेंट (रू. करोड़ में)
2016-17	88.06
2017-18	86.77
2018-19	20.00

कार्य आयोजना में प्रावधान अनुसार वृक्षारोपण क्षेत्रों (क्रॉप–2) में वन संवर्धन कार्य के अन्तर्गत वृक्षारोपण, विरलन कार्य (थिनिंग) विदोहन/पातन से प्राप्त वनोपज का विक्रय किया जाता है। म.प्र. शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एल–17/10/2005/ब–7/चार दिनांक 19.07.2005 के अनुसार राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के परिपालन में क्रॉप–II से प्राप्त कर पश्चात लाभ की 20 प्रतिशत राशि से निगम द्वारा प्रदत्त अंशपूंजी पर प्रारंभ से वर्ष 2018–19 तक राज्य शासन को राशि रु. 10773 लाख तथा भारत सरकार को राशि रु. 418.76 लाख लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान किया जा चुका है।

- विगत 3 वर्षों में वितरित लाभांश का विवरण तालिका क्रमांक 1.49 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक – 1.49

वित्तीय वर्ष	लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान (रू. करोड में)		योग
	म.प्र. शासन	भारत सरकार	
2016-17	12.14	0.44	12.58
2017-18	14.22	0.52	14.74
2018-19	11.38	0.41	11.79

1.6 मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ

वनोपज के संग्रहण एवं व्यापार से वनवासियों को लाभ दिलाने की दृष्टि से वर्ष 1984 में मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत हुआ। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1988 में लघु वनोपज के संग्रहण, भण्डारण एवं व्यापार से बिचौलियों को पूर्णतः समाप्त करने के लिये वास्तविक संग्रहण कर्ताओं की त्रिस्तरीय सहकारी संस्थाओं का गठन किया गया। प्राथमिक स्तर पर वास्तविक संग्राहकों की सदस्यता से 1072 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां, जिला स्तर पर 60 जिला वनोपज सहकारी संघ तथा शीर्ष स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, कार्यरत् है। वनोपज को राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत दो श्रेणियों में बांटा गया है। राष्ट्रीयकृत वनोपज में वर्तमान में मात्र तेन्दूपत्ता एवं कुल्लू गोंद हैं। अराष्ट्रीयकृत वनोपज जैसे हर्रा, बहेडा, लाख, अचार, महुआ, शहद, माहुल पत्ता, आंवला एवं औषधीय वनोपजों का संग्रहण विपणन करने की स्वतंत्रता है। मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, राष्ट्रीयकृत वनोपज का संग्रहण एवं व्यापार समितियों के माध्यम से करता है। अराष्ट्रीयकृत वनोपज के संग्रहण, विपणन में समन्वयक की भूमिका निभाता है।

1.6.1 तेंदूपत्ता–

विगत तीन वर्षों में संग्रहण एवं निर्वर्तन की जानकारी तालिका क्रमांक – 1.50 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक –1.50

संग्रहण वर्ष	संग्रहण दर (रु. प्रति मा. बो.)	कुल संग्रहित मात्रा (लाख मानक बोरा में)	संग्रहण मजदूरी की राशि (करोड़ रुपये में)	विकित मात्रा (लाख मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6
2018-19	2000	19.15	382.96	14.82	737.35
2019-20	2500	21.06	526.22	19.74	826.44
2020-21	2500	15.88	397.00	13.70	560.55
टीपः– वित्तीय वर्ष 2020–21 में 31.12.2020 तक प्राप्त विक्रय मूल्य।					

1.6.2 मुख्यमंत्री तेन्दूपत्ता संग्राहक कल्याण सहायता योजनाः–

लघु वनोपज संघ द्वारा दिनांक 01.04.2018 से 18 से 60 वर्ष के तेन्दूपत्ता संग्राहकों हेतु मुख्यमंत्री तेन्दूपत्ता संग्राहक कल्याण सहायता योजना प्रारंभ की गई है। इसके अन्तर्गत सग्राहकों की सामान्य मृत्यु की दशा में दावेदारों को रूपये 10,000/– आंशिक अपंगता की दशा में रू. 20,000/– पूर्ण अपंगता की दशा में रू. 50,000/– तथा दुर्घटना में मृत्यु की दशा में रू. 2.00 लाख की आर्थिक सहायता लघु वनोपज संघ द्वारा प्रदाय की जाएगी। दुर्घटना में मृत्यु की दशा में भुगतान की जाने वाली राशि रू. 2.00 लाख में से रू. 1.00 लाख की प्रतिपूर्ति मध्यप्रदेश शासन द्वारा की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2020–21 की माह नवम्बर तक की जानकारी निम्नानुसार तालिका क्रमांक 1.51 में दर्शित हैः –

तालिका क्रमांक –1.51

(दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में)

क्रं.	घटना	सहायता राशि	स्वीकृत प्रकरण	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	सामान्य मृत्यु	10,000	292	29.20
2	आंशिक अपंगता	20,000	04	0.80
	पूर्ण अपंगता	50,000	00	0.00
3	दुर्घटना मृत्यु	2,00,000	84	168.00
कुल			380	198.00

1.6.3 न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज का कय –

मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल द्वारा ''न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लघु वन उत्पाद का मूल्य श्रृंखला विकास के माध्यम से लघु वन उत्पाद का विपणन (Mechanism for marketing of Minor Forest Produce (MFP) and development of value chain for MFP) योजना जो कि 75 प्रतिशत भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय से पोषित है एवं 25 प्रतिशत राज्य शासन का अंश है। जिसका वहन राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाता है। इस परियोजना अंतर्गत मध्य प्रदेश में प्रमुखता से पाई जाने वाली 32 लघु वनोपज प्रजातियों का संग्रहण न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाता है। जिसके अद्यतन निर्धारित मूल्य निम्नानुसार तालिका क्रमांक 1.52 में दर्शित हैः –

तालिका क्रमांक –1.52

क्रं.	वनोपज	न्यूनतम समर्थन मूल्य
1	अचार गुठली	130/–
2	बेल गूदा	30/–
3	करंज बीज	40/–
4	लाख कुसुमी	275/–
5	बलाख रंगीनी	200/–
6	महुआ बीज/गुल्ली	35/–
7	महुआ फूल	35/–
8	नीम बीज	30/–
9	साल बीज	20/–
10	शहद	225/–
11	बहेड़ा	25/–
12	चकोड़ा बीज	20/–
13	हर्रा	20/–
14	नागरमोथा	35/–

15	जामुन बीज	42/–
16	आंवला गूदा	52/–
17	मर्किंग नट (भिलावा)	09/–
18	अनन्त मूल	35/–
19	अमलतास बीज	13/–
20	अर्जुन छाल	21/–
21	गिलोय	40/–
22	कोंच बीज	21/–
23	कालमेघ	35/–
24	बायडंग बीज	94/–
25	धवईफूल	37/–
26	वन तुलसी पत्तियां	22/–
27	कुटज (सूखी छाल)	31/–
28	मकोय (सूखे फल)	24/–
29	अपंग पौधा	28/–
30	इमली बीज सहित	36/–
31	सतावरी की सूखी जड़	107/–
32	गुडमार	41/–

लघु वनोपज के क्रय हेतु 18 जिलो में स्थानीय बाजार हाट में स्थान निश्चित करते हुये संग्रहण केन्द्र स्थापित किये गये है, जहॉ पर प्लेटफार्म/शेड/भंडारण गृह का निर्माण कर क्रय की अन्य व्यवस्था की जायेगी।

1.6.4 वन धन विकास केन्द्र योजनाः–

लघु वनोपजों के संग्राहकों के द्वारा संग्रहित वनोपजों का प्राथमिक प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन द्वारा उचित मूल्य दिलाने की अभिनव योजना है। संबंधित जिला यूनियन द्वारा उचित प्राथमिकता लघु वनोपज सहकारी समिति अन्तर्गत 300 सदस्यों का एक वन धन विकास केन्द्र हेतु चयनित किया गया है। इस प्रकार एक वन धन केन्द्र में 300 संग्राहक होंगे। प्रत्येक वन धन केंन्द्र हेतु ट्राईफेड द्वारा रूपये 15.00 लाख प्रशिक्षण एवं उपकरण इत्यादि हेतु प्रदाय किया गया है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ को राज्य क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है। प्रथम चरण में ट्राईफेड़ द्वारा मध्य प्रदेश के 13 जिलों में 86 वन धन विकास केन्द्र स्वीकृत किये गये है। जिसमें 10 स्वसहायता समूह क्लस्टर का एक केन्द्र होगा जिसमें प्रत्येक स्वसहायता समूह में 30 सदस्य होंगें। इस प्रकार एक वन धन केन्द्र में 300 संग्राहक होंगें। प्रथमतः यह योजना 13 जिलों में प्रारंभ की जा रही है।

इसे सफल बनाने हेतु प्रचार–प्रसार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाएगा।

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित MFP-MSP योजना के अंतर्गत वनवासियों/आदिवासियों को लघु वनोपज प्रजातियों के गुणवत्ता युक्त संग्रहण हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण – जिला यूनियन उत्तर बालाघाट, दक्षिण बालाघाट, पूर्व मंडला, पश्चिम मंडला, उत्तर शहडोल, दक्षिण शहडोल, उमरिया, पूर्व

छिंदवाड़ा, पश्चिम छिंदवाड़ा, दमोह, डिंडोरी, कटनी, नरसिंहपुर, उत्तर सिवनी एवं दक्षिण सिवनी इस प्रकार कुल 32 जिला यूनियनों में प्रशिक्षण उष्ण कटिबंधीय अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (म.प्र.) एवं CED-MAP भोपाल द्वारा कराया गया है।

1.6.5 एकलव्य शिक्षा विकास योजना

लघु वनोपज संघ द्वारा ''एकलव्य शिक्षा विकास योजना'' नवंबर 2010 में प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य वनक्षेत्रों में निवास करने वाले तेन्दूपत्ता संग्राहकों के बच्चों की शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करना है, जिससे उनके होनहार बच्चे धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाएं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं शिक्षा का व्यय वनोपज संघ द्वारा वहन किया जाता है।

(i) प्रदेश के तेन्दूपत्ता संग्राहकों, फड़ मुंशियों एवं प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधकों के पिछली परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक पाने वाले बच्चों को योजना का लाभ लेने की पात्रता है।

(ii) इस योजना में पात्रता हेतु संग्राहक के लिए यह आवश्यक है कि विगत पांच वर्षों में कम से कम तीन वर्षो में उसके द्वारा न्यूनतम एक मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया हो तथा फड़ मुंशी एवं समिति प्रबंधक द्वारा कम से कम तीन वर्षों में तेन्दूपत्ता सीजन में कार्य किया गया हो।

(iii) योजना में शिक्षण शुल्क, पाठ्य पुस्तकों पर व्यय, छात्रावास व्यय तथा वर्ष में एक बार घर आने–जाने हेतु यात्रा व्यय दिया जाता है, तथा सहायता की अधिकतम वार्षिक सीमा निम्नानुसार होगी–

- कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं के विद्यार्थियों को 12,000 रुपये अधिकतम
- कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं के विद्यार्थियों को 15,000 रुपये अधिकतम
- गैर तकनीकी स्नातक विद्यार्थियों को 20,000 रुपये अधिकतम
- व्यावसायिक कोर्स के विद्यार्थियों को 50,000 रुपये अधिकतम

लाभान्वित हितग्राहियों की वर्षवार संख्या निम्नानुसार तालिका क्रमांक 1.53 में दर्शित है:

तालिका क्रमांक –1.53

वित्तीय वर्ष	शैक्षणिक सत्र	लाभांवित छात्र/छात्राओं की संख्या			योग	स्वीकृत राशि (लाख रूपए में)
		स्कूल शिक्षा	उच्च शिक्षा स्नातक	तकनीकी शिक्षा स्नातक		
2011-12	2010-11	842	196	23	1061	46.85
2012-13	2011-12	643	104	42	789	35.28
2013-14	2012-13	637	114	66	817	50.21
2014-15	2013-14	527	96	91	714	46.78
2015-16	2014-15	582	85	81	748	61.70
2016-17	2015-16	680	100	94	874	82.24
2017-18	2016-17	1135	194	104	1433	130.56
2018-19	2017-18	1489	236	164	1889	188.47
2019-20	2018-19	1678	343	168	2189	323.08
2020-21	2019-20	739	139	57	935	114.29
योग		**8952**	**1607**	**890**	**11449**	**988.43**

1.6.6 प्रोत्साहन पारिश्रमिक

संविधान के 73 वें संशोधन के फलस्वरूप लघु वनोपज का स्वामित्व ग्राम सभाओं को सौंपा गया है। प्रदेश में लघु वनोपज व्यवसाय से ग्रामीणों को उचित लाभ दिलाने के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिये गये हैं। लघु वनोपज के अंतर्गत तेन्दूपत्ता के व्यवसाय से होने वाली संपूर्ण शुद्ध आय प्राथमिक सहकारी वनोपज समितियों को उपलब्ध कराई जा रही है। इस व्यवस्था को लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है।

वर्तमान में शुद्ध आय का 70 प्रतिशत भाग संग्राहकों को, उनके द्वारा संग्रहित मात्रा के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में नगद भुगतान करने का प्रावधान है। शेष 30 प्रतिशत में से 15 प्रतिशत भाग वनों के पुनरोत्पादन पर लगाया जा रहा है तथा 15 प्रतिशत की अवशेष राशि सहकारी समितियों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनकी माँग अनुसार ग्राम की मूलभूत सुविधाओं के विकास में दी जा रही है।

इस व्यवस्था के अंतर्गत विगत तीन वर्षों की प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि का विवरण निम्नानुसार तालिका क्रमांक 1.54 में दर्शित है:

तालिका क्रमांक –1.54

संग्रहण वर्ष	प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि (रूपये करोड़ में
2016	207.54
2017	595.93
2018	282.47
कुल योग	**1085.94**

1.6.7 अन्य योजनाएँ

(i) लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, (एम.एफ.पी–पार्क) बरखेड़ा पठानी

- **केन्द्र की गतिविधियाँ**

इस केन्द्र की स्थापना वर्ष 2004–2005 में की गई, इसकी स्थापना का सैद्धान्तिक आधार माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें वनौषधियों के मूल्य संवर्धन के उपरांत प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्माण किया जाता है। पूर्व में प्रदेश से वनौषधीयों का विपणन बिना मूल्य संवर्धन के ही प्रचलन में था। मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की प्रसंस्करण इकाई लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी.–पार्क), वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल द्वारा "**विन्ध्य हर्बल्स ब्रांड**" के अंतर्गत आयुर्वेदिक एवं हर्बल औषधियों का उत्पादन कार्य विगत 14 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है। औषधियों के निर्माण हेतु ड्रग एवं कास्मेटिक्स अधिनियम 1940 के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पद्वति एवं होम्योपेथी, मध्यप्रदेश शासन से लाइसेंस क्रमांक 25D/9/05 दिनांक 28.03.2005 लिया गया है। केन्द्र का पंजीयन कारखाना अधिनियम 1948 एवं मध्यप्रदेश कारखाना नियम 1962 के अन्तर्गत श्रम एवं उद्योग विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया गया है। विन्ध्य हर्बल्स ब्रांड के व्यापार चिन्ह का पंजीयन भारत सरकार के व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के अनुसार उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार से कराया गया है। यह संस्था जिला उद्योग केन्द्र से लघु औद्योगिक

इकाई के तौर पर भी पंजीकृत है। गुणवत्ता आधारित नीतियों के चलते केन्द्र को आयुष प्रीमियम मार्क आयुष विभाग म0प्र0 शासन से GMP प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता प्रबंधन हेतु ISO एवं पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु EMS-14001 प्रमाण पत्र भी निरंतर प्राप्त होते रहे है। इस केन्द्र द्वारा उत्पादित अधिकतम उत्पादों की आपूर्ति देश के विभिन्न राज्यों के आयुष विभागों एवं अनुसंधान संस्थानों को की जाती है तथा प्रदेश में स्थापित संजीवनी केन्द्रों एवं वितरकों के माध्यम से निर्मित उत्पादों के खुदरा विपणन का कार्य किया जाता है।

- **प्रसंस्कृत औषधियों का वर्गीकरण**

इस केन्द्र को 840 प्रकार के औषधीय निर्माण लाइसेंस प्राप्त है। वर्तमान में केन्द्र द्वारा मांग अनुसार 350 प्रकार की विभिन्न क्लासिकल शास्त्रोक्त–265 प्रोपराइटरी–75 एवं 09 प्रकार की पशु औषधियों, आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। केन्द्र में वनीय क्षेत्रों से संग्रहित की जाने वाली शहद के प्रसंस्करण की सुविधाएं भी उपलब्ध है।

विभिन्न राज्यों को औषधीय आपूर्ति

इस केन्द्र द्वारा बढ़ती हुई बाजार–स्पर्धा के बाद भी निरंतर आय में उत्तरोत्तर वृद्वि अर्जित की जाती रही है। विगत वर्षो में मध्यप्रदेश आयुष विभाग के अलावा आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पांडुचेरी, उड़ीसा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना, असम, अरूणाचल प्रदेश, नई दिल्ली, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर एवं अंडमान एवं निकोबार इत्यादि (18–20) राज्यों को शासकीय आपूर्ति की गई है ।

खुदरा विपणन– प्रदेश में स्थापित 28 संजीवनी आयुर्वेदिक केन्द्रों एवं विभिन्न जिलों के खुदरा वितरकों, दिल्ली हाट जनकपुरी के माध्यम से खुदरा विपणन का कार्य किया जाता है। केन्द्र को प्रतिवर्ष लगभग 100 लाख रूपए का राजस्व खुदरा विपणन से प्राप्त होता है।

- **वर्ष 2020 की विशिष्ट उपलब्धियांः–**

1. त्रिकटु काढाः कोरोना संक्रमण (कोविड–19) की रोकथाम, बचाव एवं प्रबंधन हेतु आयुष विभाग की मांग पर प्रसंस्करण केन्द्र द्वारा 43,68,000 नग (50 एवं 500 ग्राम पैकिंग) त्रिकटु काढे, 3,16,500 नग (50 एम.एल.पैकिंग) अणु तेल एवं 45,250 नग (500 ग्राम पैकिंग) संषमणी बटी के पैकेटस/डिब्बे राशि रू. 29,73,01,750/– के तैयार कर उपलब्ध कराये गये। मध्यप्रदेश आयुष विभाग द्वारा ''जीवन अमृत'' योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक औषधी त्रिकटु काढे के पैकेट (त्रिकटु, चूर्ण,अणु तेल, संषमणी बटी) प्रदेश के सामान्य जन को वितरित किये गये है।
2. **आरोग्य कषायम काढाः** कोविड–19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु आयुष विभाग की मांग पर प्रसंस्करण केन्द्र द्वारा 8,690 नग (500 ग्राम पेकिंग) आरोग्य कषायम की राशि रू. 31,11,020/– के पैकेट्स/डब्बे उपलब्ध कराये गए।
3. **इम्युनिटी बूस्टर किटः** रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) बढाने में आयुर्वेदिक औषधियों के प्रभावी उपाय के रूप में एवं उनकी महत्ता को देखते हुए विन्ध्य हर्बल्स द्वारा 08 विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण औषधियों (गिलोय चूर्ण, अणु तेल, संशमनी वटी, कालमेघ चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, वनीय शहद, अर्जुन हर्बल चाय) को समाहित करते हुए एक रोग प्रतिरोधी किट (इम्युनिटी बूस्टर किट)) सुविधाजनक बाक्स में तैयार की गई है। माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय वन मंत्री, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 27.08.2020 को विन्ध्य हर्बल्स, इम्युनिटी बूस्टर किट का लोकार्पण किया गया।

4. **शासकीय/खुदरा आपूर्तिः** वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसम्बर तक कुल राशि रू. 31,15,83,742/– मूल्य के औषधियों को तैयार कर शासकीय एवं रिटेल क्षेत्र में आपूर्ति की गई है।

5. **दीपावली पर इम्युनिटी बढाने वाले गिफ्ट पैक का विक्रयः** इस वर्ष दीपावली के त्यौहार को उल्लास एवं उत्साह पूर्वक मनाये जाने तथा परिवार के उत्तम स्वास्थ्य एवं इम्युनिटी बढ़ाने हेतु केन्द्र द्वारा महत्वपूर्ण उत्पादों को समाहित करते हुए आकर्षक गिफ्ट पैक तैयार किये गये। उक्त अवधि में केन्द्र द्वारा विभिन्न प्रकार की आकर्षक 5440 गिफ्ट पैक विक्रय किये गये। उक्त गिफ्ट पैक्स में कालमेघ, अश्वगंधा, त्रिकटु, गिलोय, अर्जुन चाय, शहद एवं च्वनप्राश को शामिल किया गया। त्यौहार के अवसर पर पारंपरिक मिठाई के स्थान पर उक्त गिफ्ट पैक स्नेही स्वजनों, मित्रों पारिवारिक सम्बंधियों, अधिनस्थों को उत्तम स्वास्थ्य एवं इम्युनिटी बढाने हेतु उपहार स्वरूप भेंट करने के लिए आमजनों व संस्थाओं को विक्रय हेतु उपलब्ध कराया गया।

- **राजस्व प्राप्तियां**

केन्द्र की गुणवत्ता आधारित नीतियों के चलते बढती हुई कडी बाजार प्रतिस्पर्धा के बाद भी उत्पादन कार्यों एवं राजस्व प्राप्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2019–20 में रूपये 22.31 करोड़ एवं वर्ष 2020–21 में 31.12.2020 तक रूपये 31.15 करोड़ का राजस्व की प्राप्तियाः हुई है। संस्था के कुशल संचालन एवं प्रबंधन तथा संघ मुख्यालय के अनुश्रवण का ही परिणाम है कि संस्था लाभप्रद स्थिति में बनी हुई है। यह केन्द्र शासकीय सीमाओं में रहकर आज अन्य शासकीय औषधि निर्माणकर्ता संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहा है।

1.6.8 संजीवनी केन्द्र की स्थापना

औषधीय पौधों एवं प्रसंस्करण केन्द्रों द्वारा उत्पादित औषधियों के विपणन के लिये भोपाल, बालाघाट, पूर्व छिन्दवाड़ा, पश्चिम छिन्दवाड़ा, देवास, शिवपुरी, औबेदुल्लागंज, कटनी, सिवनी, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, रेहटी (सीहोर), होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सतना, बरखेडा पठानी (भोपाल), मैहर, इन्दौर, पन्ना, ग्वालियर, अमरकंटक, कपिलधारा, छतरपुर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा इत्यादि में ''संजीवनी आयुर्वेद'' के नाम से 28 विक्रय केन्द्र प्रारम्भ किये गये हैं । इन विक्रय केन्द्रों के माध्यम से अर्द्ध तथा पूर्ण प्रसंस्कृत लघुवनोपजों तथा औषधीय उत्पाद आम जनता को विक्रय किया जाता है । विपणन किये जा रहे उत्पादों में आंवला मुरब्बा, अर्जुन चाय, शहद, गोंद, बेल, गुड़मार एवं त्रिफला चूर्ण आदि प्रमुख हैं ।

1.6.9 अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला

कोविड 19 की वजह से अंतर्राष्ट्रीय हर्वल मेला का प्रस्तावित कर्यक्रम इस वर्ष के लिऐ स्थगित किया गया है।

1.6.10 संचित ऋण निधि से 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर राशि का प्रदाय।

(1) **लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु जिला यूनियनों को ऋण उपलब्ध कराना**– संचालक मण्डल की 87 वीं बैठक दिनांक 29.06.2010 में निर्णय लिया गया था कि संचित ऋण निधि से लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु जिला यूनियनों को 4 प्रतिशत ब्याज की राशि से ऋण उपलब्ध कराए जाएँ । प्रदेश में लघु वनोपजों तथा औषधीय

पौधों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने एवं उनके व्यापार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न जिला यूनियनों को संघ मुख्यालय से ऋण निधि से कम दर के ब्याज (4 प्रतिशत) पर रूपये 614.94 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है ।

(2) **प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों को मोटर साइकिल क्रय हेतु ऋण प्रदाय करना**– दिनांक 16.08.2010 को संचालक मंडल द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को मोटर साईकिल के वास्तविक क्रय मूल्य अथवा रूपये 50,000/– जो भी अधिक हो, के ऋण 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर देने हेतु नियम बनाये गये हैं ।

1.6.11 लाभांश की राशि से कराए जाने वाले कार्य

(1) **वन विकास** :– वर्ष 2016–17 से 2018 –19 में तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त लाभांश की राशि से वनों के विकास के अन्तर्गत अंतःस्थलीय एवं बाह्य स्थलीय संरक्षण के वन कार्य स्वीकृत किये गये। विवरण निम्नानुसार तालिका क्रमांक 1.55 में दर्शित है:

तालिका क्रमांक –1.55

वन विकास एवं क्षमता विकास कार्य

क्र.	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख में)	स्वीकृत कार्यों की संख्या
1	2016–17	28.00	100.00 हेक्ट. (IN-Situ)
2	2017–18	9.70	05.00 हेक्ट. (IN-Situ)
3	2018–19	13120.26	8290.00 हेक्ट. (IN-Situ)

(2) **अधोसंरचना विकास** :– ग्रामों के अधोसंरचना विकास के कार्य स्वीकृत किये गये, विवरण तालिका क्रमांक – 1.56 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक –1.56

क्रमांक	वर्ष	कार्य	राशि (रूपए लाख में)
1	2017-18	रोड, रपटा, पुलिया, बाउन्ड्री वाल निर्माण, स्टॉप डेम, पेयजल व्यवस्था एवं सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	1446.56
2	2018-19	रोड, रपटा, पुलिया, बाउन्ड्री वाल निर्माण, स्टॉप डेम, पेयजल व्यवस्था एवं सामुदायिक भवन, वन रक्षक नाका, महिला शौचालय, तालाब गहरीकरण कार्य आदि	5114.38
3	2019-20	रोड, रपटा, पुलिया, बाउन्ड्री वाल निर्माण, स्टॉप डेम, पेयजल व्यवस्था एवं सामुदायिक भवन, वन रक्षक नाका, महिला शौचालय, तालाब गहरीकरण कार्य आदि	3320.07
योगः–			**9881.01**

मध्यप्रदेश के वन क्षेत्रों में सयुक्त वन प्रबन्धन समितियों के लघु वनोपजों के प्रसंस्करण हेतु प्रसंस्करण केन्द्र निर्माण, गोदाम निर्माण, क्षमता विकास तथा संग्रहण की प्रक्रिया के तहत सही एवं उचित लघु वनोपज संग्रहण हेतु प्रशिक्षण आदि हेतु 580.00 लाख के प्रावधान के विरूद्व 500.00 लाख प्राप्त हुए। जिसमें अभी तक 351.34 लाख व्यय हो चुके है।

1.7 राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, 27 जून, 1963 को म.प्र. राज्य शासन, वन विभाग द्वारा जबलपुर में स्थापना की गई। यह संस्थान भारत का प्रथम राज्य स्तरीय वानिकी शोध संस्थान है। 29 अक्टूबर, 1994 में इस संस्थान को स्वायत्ता प्रदान की गई एवं 02 अगस्त, 1995 को संस्था के रूप में पंजीबद्ध किया गया। संस्थान वन वनस्पति, वनवर्धन, वृक्ष सुधार, बीज तकनीकी, जैव विविधता, वन आनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापिकी, वन पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय प्रभाव, वन्यप्राणी तथा कृषि वानिकी आदि विषयों में शोध एवं क्षेत्रीय स्तर पर हस्तांतरण योग्य तकनीक विकसित कर उनके प्रचार–प्रसार का कार्य करता है। संस्थान के संचालक मंडल में 15 सदस्य तथा अनुसंधान सलाहकार समिति में 20 सदस्य हैं। संस्थान में संचालक का पद प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर का है।

महत्वपूर्ण योजनाएँ एवं गतिविधियाँ

वर्ष 2020–21 के दौरान संस्थान की अनुसंधान गतिविधियाँ अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से वन विभाग के क्षेत्रीय स्तर पर वन प्रबंधन में सहयोग प्रदान करने हेतु विभिन्न विषयों पर केन्द्रित रही है। इनमें से कुछ प्रमुख विषय निम्नानुसार हैः–

- म.प्र. में जलवायु परिवर्तन का वनों तथा रहवासियों के आजीविका पर प्रभाव।
- उच्च गुणवत्ता वाले पौध तैयार करने हेतु बीज तथा नर्सरी तकनीकों का मानकीकरण।
- आधुनिक प्रौद्यौगिकी के माध्यम से महत्वपूर्ण संकटग्रस्त जंगलीय औषधीय पौध प्रजातियों के गुणवत्ता वाले रोपण स्टॉक का उत्पादन।
- मध्यप्रदेश में प्रमुख गोंदों के संग्रहण के ऑकड़ों का संकलन एवं प्राथमिक संग्राहकों पर सामाजिक आर्थिक प्रभाव।
- नौरादेही वन्यप्राणी अभ्यारण्य में पुनः छोड़े गए बाघों तथा उनके शावकों के रहवास एवं उनके जंतु व्यवहार (Animal Behaviour) की आधुनिक उपकरणों से निगरानी।
- मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों के लिए डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली की स्थापना।
- अमरकंटक से मण्डला तक नर्मदा नदी के किनारे Phytosociological अध्ययन द्वारा जल की गुणवत्ता के प्रभाव का मूल्यांकन।
- राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य, मुरैना (म.प्र.) में MPUDC के अंतर्गत प्रस्तावित जलप्रदाय परियोजना के अंतर्गत जल निकासी से डॉल्फिन, मगरमच्छ और उनके रहवास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।
- मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र में कृषकों को लाख की खेती को प्रोत्साहित करने तथा उनके आय में वृद्धि बाबत लाख के कीटों का संरक्षण एवं संचारण करने हेतु नेटवर्क परियोजना का संचालन।

- मध्यप्रदेश में महुआ फूल एवं अचार गुठली के उत्पादन एवं संग्रहण मात्रा का आंकलन एवं उनकी वंशागत विविधता की पहचान करना।
- मध्यप्रदेश के सतना वनमण्डल में उपयोगकर्ता वन आश्रित समुदायों की सक्रिय भागीदारी के साथ कुछ महत्वपूर्ण जंगली औषधीय पौधों और अन्य NTFPs की सतत् विदोहन सीमा का निर्धारण।
- अचार, बीजा, तिनसा, हल्दू, धामन, शीशम के उम्मीदवार धन वृक्षों की मध्यप्रदेश में पाए जाने वाले संभावित स्थानों की पहचान एवं उनकी क्लोनल प्रोपेगेशन तकनीकों का मानकीकरण।
- मध्यप्रदेश के विभिन्न वनों में स्थित नमूना भूखण्डों (Sample plot) में सागौन, साल एवं अन्य प्रजातियों की वृद्धि का अध्ययन।
- मध्यप्रदेश के विंध्य क्षेत्र के रातापानी खिवनी परिदृश्य में बाघ की उपस्थिति एवं विचरण का अध्ययन।
- मध्यप्रदेश में लकड़ी की मांग और आपूर्ति का अनुमान ।
- विभिन्न वानिकी प्रजातियों के उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों का एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण एवं वितरण।
- मध्यप्रदेश के होशंगाबाद वनवृत्त में वन्यप्राणियों द्वारा फसलों को हानि पहुँचाने तथा इसके प्रबंधन पर अध्ययन।
- सरदार सरोवर परियोजना मध्यप्रदेश के आस–पास के क्षेत्रों में वन्यजीव रहवास सुधार की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण।
- जबलपुर स्मार्ट सिटी में सड़क किनारे वृक्षारोपण से कार्बन संचय द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने में योगदान पर अध्ययन।
- महत्वपूर्ण वानिकी प्रजातियों के उत्पादन एवं आयतन तालिकाओं का निर्माण।
- पश्चिमी म.प्र. के मालवा का पठार कृषि जलवायु का क्षेत्र के अंतर्गत कृषक सम्वृद्धि योजना द्वारा कृषि वानिकी के तहत निजी भूमि के रोपण एवं वर्तमान कृषि वानिकी मॉडल का अध्ययन।
- मिट्टी के भौतिक एवं रासायनिक गुणों पर वनों की आग का प्रभाव।
- गृह औषधीय वाटिका स्थापना हेतु आवश्यक तकनीकी सलाह व मार्गदर्शन एवं निःशुल्क औषधीय पौधों का वितरण।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :

प्रशिक्षण कार्यक्रम :

- लाख उत्पादन हेतु मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र में वन विभाग के अमले तथा कृषकों को प्रशिक्षण।
- महुआ फूल एवं सलई गोंद संबंधी प्रशिक्षण।
- संयुक्त वन प्रबंधन समिति द्वारा अकाष्ठीय वनोपजो का प्राकृतिक वन क्षेत्रो में सतत् विदोहन पद्धति का निर्धारण एवं प्रबंधन तकनीक का प्रशिक्षण।
- औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती प्रसंस्करण और विपणन में प्रशिक्षण सह प्रदर्शन कार्यक्रम।
- बीज उद्यानों और बीज उत्पादन क्षेत्रों के रखरखाव में वन विभाग के कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण।

- प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल एवं वनरक्षकों का वानिकी अनुसंधान के विभिन्न आयामों से परिचय हेतु शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन।
- विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों द्वारा शैक्षणिक भ्रमण के दौरान राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में प्रचलित अनुसंधान गतिविधियों का विस्तार।
- मध्यप्रदेश के अनुसंधान और विस्तार केन्द्रों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण NTFP और औषधीय पौधों की प्रजातियों की विकसित नर्सरी तकनीकों के विस्तार हेतु मार्गदर्शन।

प्रकाशन तथा अन्य गतिविधियाँ :

संस्थान द्वारा त्रैमासिक पत्रिकाओं 'वानिकी संदेश' तथा 'वन–धन' का प्रकाशन किया जाता है। समय–समय पर अनुसंधान द्वारा विकसित तकनीकों के प्रचार–प्रसार हेतु पुस्तक, तकनीकी बुलेटिन, ब्रोशर एवं पेम्पलेट्स का प्रकाशन किया गया। संस्थान के नवीन प्रकाशन निम्नानुसार हैं:–

- हर्रा, बहेडा, रीठा, हल्दू, खुरासानी इमली तथा अन्य 16 महत्वपूर्ण औषधीय पौधों के बीज एवं रोपणी तकनीकी पर प्रचार–प्रसार ब्रोशर।
- मध्यप्रदेश के विभिन्न वनमण्डलों के लिए विविध प्रजातियों की मात्रा तालिका का निर्माण।
- मध्यप्रदेश में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्लभ प्रजाति जैसे सलई, शीशम, अचार, मैदा लकड़ी और बीजा की बहुगुणन तकनीकों का विकास।
- पलाश एवं कुसुम के वृक्षो में लाख की कृषि प्रक्रिया।
- मध्यप्रदेश की प्रमुख गोंदों के उत्पादन एवं संग्रहण क्षेत्र।
- दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियों की रोपणी तकनीक का प्रचार प्रसार।
- वनों एवं वन रोपणियों में लगने वाली कीट व्याधियों एवं उनके निदान पर किये गये कार्यो का सरल भाषा में संकलन : मध्यप्रदेश के संदर्भ में।

संस्थान की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ:

1) माननीय वन मंत्री, डॉ. कुँवर विजय शाह, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में संस्थान तथा मध्य वृत्त वन जबलपुर एवं संबंधित वन मण्डलों की गतिविधियों की समीक्षा बैठक दिनांक 30/07/2020 एवं 18/11/2020 को आयोजित की गई। इस अवसर पर माननीय वन मंत्री जी द्वारा संस्थान के औषधीय पौध जीन बैंक के परिसर में वृक्षारोपण किया गया एवं संस्थान के अरण्य–विथिका (संग्रहालय) का अवलोकन किया गया। बैठक में माननीय वन मंत्री, म.प्र. शासन द्वारा राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर तथा विभागीय क्षेत्रीय कार्यों की समीक्षा की गयी।

   माननीय वन मंत्री जी द्वारा संस्थान के अधिकारियों, वैज्ञानिकों एवं वन अधिकारियों को भविष्य में किये जाने वाले अनुसंधान तथा वानिकी प्रबंधन कार्यो पर बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया गया। बैठक के अंत में माननीय वन मंत्री जी द्वारा औषधीय पौधों की तकनीकी ब्रोशर का विमोचन भी किया गया।

दिनांक 30.07.2020 को माननीय वन मंत्री जी द्वारा संस्थान परिसर में वृक्षारोपण एवं तकनीकी ब्रोशर का विमोचन

2) मध्यप्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर की 45वीं अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 04.11..2020 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में वेबीनार के माध्यम से आयोजित की गई। जिसमें संस्थान के संचालक डॉ. अभय कुमार पाटिल, अधिकारीगण, वैज्ञानिकों एवं वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रस्तावित परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस बैठक में अनुसंधान सलाहकार समिति के 15 सदस्यों द्वारा भाग लेकर मार्गदर्शन दिया गया। बैठक में 12 प्रस्तावित परियोजनाओं को विभिन्न वित्त पोषित प्रदाय करने वाली संस्थाओं को प्रस्तुत करने बाबत निर्देशित किया गया।

3) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से प्राप्त नेटवर्क परियोजना लाख कीट के आनुवंशिकी संसाधनों का संरक्षण के अंतर्गत राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में वर्ष 2014 में मध्य भारत क्षेत्र के लाख सहयोगी केंद्र की स्थापना की गई थी। जिसमे कृषको की आजीविका में वृद्धि करने के उद्देश्य से लाख कीट एवं उनके विभिन्न पोषक वृक्षो का सर्वेक्षण, लाख कीट जीन बैंक एवं लाख कीट संग्रहालय की स्थापना की गई।

इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 51 जिलों के 315 विकास खंडो में व्यापक स्तर पर लाख कीट सर्वेक्षण कार्य किया गया, जिसमें 46 जिलो के 132 विकासखंडो में लाख कीट की उपस्थिति पायी गयी। लाख की कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के 12 जिलों में 20 प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमे 700 कृषको को प्रशिक्षित किया गया। परियोजना के अंतर्गत 126 नए पोषक वृक्ष बहुल क्षेत्रो को भी चिन्हित किया गया है जिसमे लाख उत्पादन कार्य प्रारंभ कराकर कृषको एवं आदिवासियों की आय में वृद्धि की जा सके। इस परियोजना की सफलता के आधार पर परियोजना अवधि को अगले पांच वर्षो (2021–2026) तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

4) मध्यप्रदेश अबर्न डेव्लहपमेंट कम्पनी द्वारा वित्त पोषित परियोजना "To study the impact of proposed Morena water Supply Sub Project under MPUDP on the Dolphin, Crocodile & Gharial and their habitat in National Chambal Gharial Wildlife Sanctuary Morena M.P." के अंतर्गत राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभ्यारण में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 के समीप चम्बल नदी में इन्टेक वेल का निर्माण किया जाना है, जिससे मुरैना शहर को पीने के पानी की आपूर्ति की जाएगी। इस बाबत प्रस्तावित इन्टेक बेल के निर्माण से जल निकासी से चम्बल नदी में विचरण कर रहे जलीय जीव–जन्तुओं जिनमें

घोर संकट ग्रस्त श्रेणी की प्रजाति घड़ियाल, डॉलफिन, कछुआ तथा अन्य प्रजातियां जैसे – मगर, उदविलाव तथा मछलियों की प्रजातियां जैसे – महाशीर, फ्लाईंग फिश आदि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत चम्बल नदी के जल की गुणवत्ता, बहाव की गति, जलस्तर, तलहटी की स्थिति, चौड़ाई, गहराई आदि के आंकड़े वर्तमान में अध्ययन क्षेत्र से लिये जा रहे हैं तथा विगत 20 वर्षो के जलस्तर के आकड़ों के आधार पर भविष्य में चंबल नदी में 50 वर्षों तक के होने वाले प्रभावों का पारिस्थितिकी संतुलन बने रहने का अध्ययन किया जा रहा है।

5) राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में बीज प्रभाग द्वारा माह दिसम्बर में तीन दिवसीय 02 प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिनांक 21.12.2020 से 23.12.2020 एवं 28.12.2020 से 30.12.2020) का आयोजन किया गया, जिसमें सिवनी एवं जबलपुर सामाजिक वानिकी वृत्त, सामान्य वनमण्डल, सिवनी (उत्तर एवं दक्षिण), जबलपुर, कटनी, हरदा, होशंगाबाद एवं छिंदवाड़ा (पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण) वनमण्डल से क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारियों को बीज संग्रहण से लेकर बीज तकनीक, रोपणी तकनीक, केंचुआ खाद, बीज प्रक्षेत्र का चयन, बीज उत्पादन क्षेत्र की स्थापना एवं प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन का कार्य किया गया। उक्त प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन में दो चरणों में 43 क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

6) राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा म.प्र. वन विभाग द्वारा वित्त पोषित परियोजना "Extension of developed nursery techniques of some NTFPs and medicinal plants species through Research and extension centre of M.P." के अंतर्गत समस्त सामाजिक वानिकी वृत्त में महत्वपूर्ण एवं संकटाग्रस्त प्रजातियों की रोपणी तकनीक के प्रचार–प्रसार करने के तारतम्य मे सामाजिक वानिकी वृत्त इंदौर, झाबुआ, रतलाम एवं सागर मे दिनांक 08/12/2020 से 23/12/2020 के मध्य 2020 सामाजिक वानिकी वृत्त के क्षेत्रीय कर्मचारी एवं अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में म.प्र. में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण एवं संकटाग्रस्त प्रजातियों की रोपणी तकनीक से जुडे विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम की चर्चा के दौरान प्रशिक्षणर्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। इसी श्रृंखला में निकट भविष्य में शेष 5 सामाजिक वानिकी वृत्तों (जबलपुर, रीवा, खण्डवा, भोपाल एवं ग्वालियर) में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाना प्रस्तावित है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान

7) राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में अनुसंधान गतिविधियों का अवलोकन उत्तर प्रदेश, फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी के प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल अधिकारी, फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी, हल्दवानी, कुन्दल एकेडमी ऑफ डेव्लपमेंट एडमिनिशट्रेटिव एण्ड मैनेजमेंट (फॉरेस्ट), धूमल, महाराष्ट्र, सेन्ट्रल एकेडमी ऑफ फॉरेस्ट एजूकेशन, करशियांग, दार्जिलिंग, प्रशिक्षु सहायक वन संरक्षक, सेन्ट्रल एकेडमी ऑफ स्टेट फॉरेस्ट सर्विसिस, कोयम्बटूर, प्रोवेशनरी सहायक संचालक कृषि अधिकारी, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, शासकीय स्वाशासी आयुर्वेदिक महाविद्यालय एण्ड हॉस्पिटल, जबलपुर, अन्डर ग्रेजूयेट स्टूडेण्ट, बी.ए.एम.एस के छात्र,, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, छपरा, सिवनी, प्रशिक्षु वनरक्षक, शिवपुरी, अमरकंटक एवं लखनादौन द्वारा किया गया।

8) राज्य वन अनुसंधान संस्थान, पोलीपाथर, जबलपुर में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा स्थापित क्षेत्रीय–सह–सुविधा केन्द्र गृह औषधि वाटिकाओं की स्थापना को राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा। इस केन्द्र द्वारा नागरिकों को गृह औषधि वाटिका स्थापना हेतु आवश्यक तकनीकी सलाह व मार्गदर्शन दिया जाता है। एक परिवार को 20 पौधे तक (एक प्रजाति के अधिकतम 02 पौधे) निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं। साथ ही गृह औषधि वाटिकाओं में लगाने हेतु कुछ औषधीय पादप प्रजातियो के बारे में विस्तृत जानकारी तकनीकी सलाह/मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा दी जा रही है। केन्द्र द्वारा निम्न औषधीय पौधों तथा उनकी कृषि तकनीक के बारे में जानकारी तैयार की गई है।

9) वनोपज वन ग्रामों में निवासरत परिवारों की अजीविका अर्जन का प्रमुख स्त्रोत रहें। वनोपजो के संग्राहकों एवं व्यापारियो को लघुवनोपजों के बाजार एवं उनके मूल्यों की जानकारी उपलब्ध कराने के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) संघ, मर्यादित भोपाल से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सामाजिक आर्थिक एवं विपणन शाखा अंतर्गत वर्ष 2001 में विपणन सूचना प्रकोष्ठ का गठन किया जिसके अंतर्गत त्रैमासिक पत्रिका वन–धन व्यापार का प्रकाशन किया। विपणन सूचना प्रकोष्ठ को क्रियान्वित रखने हेतु तीन विपणन केन्द्रो की स्थापना कटनी, इंदौर एवं शिवपुरी में मध्यप्रदेश लघुवनोपज संघ से सहयोग प्राप्त कर की गई। वन–धन व्यापार पत्रिका में मध्यप्रदेश के प्रमुख लघुवनोपज व्यापार केन्द्रो के साथ–साथ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं राष्ट्रीय स्तर नई दिल्ली में चल रहे लगभग 100 लघुवनोपजो के बाजारो मूल्यों का समावेश पत्रिका में किया गया साथ ही महत्वपूर्ण औषधीय पौधो की खेती तकनीक, वनोपज समाचार एवं शोध पत्र का प्रकाशन किया जाता रहा है। जो कि लघुवनोपजो के संग्राहक, व्यापारी, वनौषधियों की खेती कर रहे कृषक एवं वन समितियों को उत्पाद के क्रय–विक्रय हेतु अनुमान, सूचनायें एवं निर्णय लेने में अत्यंत की उपयोगी रही है। वर्ष 2020 में वन–धन व्यापार पत्रिका के प्रकाशन के 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं।

1.8 मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का गठन

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 63 (1) के अनुसार राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 दिनांक 17.12.2004 को अधिसूचित किये गये। जिसके अंतर्गत राज्य शासन की अधिसूचना 11 अप्रैल 2005 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का गठन किया गया।

1.8.1 जैवविविधिता बोर्ड का उद्देश्य :

जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 23 एवं मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 14 के तहत मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का निम्नानुसार उद्देश्य/भूमिका है –

अ. जैवविविधता का संरक्षण,

ब. जैवविविधता के संघटकों का संवहनीय (पोषणीय) उपयोग तथा

स. जैव संसाधनों और ज्ञान के वाणिज्यिक (व्यापारत्मक) उपयोग से उद्‌भूत लाभ का उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन।

1.8.2 मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का संचालक मण्डल

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 11.04.2005 अनुसार मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड गठित किया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष, पदेन सदस्यगण एवं अशासकीय (राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 24.11.2016 एवं 08.02.2017 अनुसार) सदस्यगण नियुक्त हैं।

बोर्ड का कोई संभागीय/जिला/तहसील/विकासखंड कार्यालय नहीं है।

1.8.3 संचालक मण्डल की बैठक

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की 17वीं बोर्ड बैठक मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन तथा अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 02.06.2020 को सम्पन्न हुई।

1.8.4 वित्तीय वर्ष 2020–21 में मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा उद्‌देश्य पूर्ति हेतु संचालित गतिविधियां/कार्य –

1. जैवविविधता का संरक्षण

- **मध्यप्रदेश जैवविविधता रणनीति व कार्ययोजना 2018–30 (Madhya Pradesh Biodiversity Strategic and Action Plan 2018-2030 – MPBSAP)** – मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा जैवविविधता स्वामित्व रखने वाले शासकीय विभागों (वन, कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य, पशुपालन, जल संसाधन) के सहयोग व सहमति से **मध्यप्रदेश जैवविविधता रणनीति व कार्ययोजना 2018–30** तैयार किया गया।

  मध्यप्रदेश जैवविविधता रणनीति व कार्य योजना 2018–30 का विमोचन मान. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन व अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा दिनांक 31.08.2020 को किया गया। **मध्यप्रदेश जैवविविधता रणनीति व कार्ययोजना 2018–30** का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण जैवविविधता स्वामित्व रखने वाले शासकीय विभागों के सहयोग से किया जावेगा।

- **जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित परियोजनायें**– मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा जैवविविधता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर शोध एवं दस्तावेजीकरण परियोजना शोध संस्थाओं, महाविद्यालयों एवं अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित की जाती है। वर्ष 2020–21 में कुल 28 परियोजनायें संचालित की जा रही हैं।

- **जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन**– मान. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन.जी.टी) नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 347/2016 में दिनांक 18.03.2020 को पारित आदेश के तहत प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा समस्त स्थानीय निकाय स्तर पर शत–प्रतिशत जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है।

- **लोक जैवविविधता पंजी** – मान. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन.जी.टी) नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 347/2016 में दिनांक 18.03.2020 को पारित आदेश के तहत निम्नानुसार कार्यवाही की गयी –

  1. **प्रदेश में स्थानीय निकाय स्तर पर** Digital Dynamic लोक जैवविविधता पंजी निर्माण किया गया।

  2. मध्यप्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र क्रमांक/विद्या/टी/जैवविविधता/2019–20/2747 दिनांक 20.12.2019 तथा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक/ 1006/317/आउशि/शाखा–5 अ/2019 दिनांक 06.01.2020 अनुसार प्रदेश के विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जनपद पंचायत स्तर पर लोक जैवविविधता पंजी निर्माण किया जा रहा है। प्रथम चरण में बोर्ड को प्राप्त प्रस्ताव अनुसार 112 जनपद पंचायत स्तर पर लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण (जैवविविधता एवं जैवसंसाधनों का दस्तावेजीकरण) कार्य प्रगति पर है।

बजट प्रावधान

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड को वित्त वर्ष 2020–21 में निम्नानुसार बजट अनुदान शासन द्वारा प्रावधानित किया गया है जिसका विवरण तालिका क्रमाक 1.57 में दर्शित है ।

तालिका क्रमांक – 1.57

(दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में)

क्र.	बजट शीर्ष	प्रावधान राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि
1.	7672–जैवविविधता एवं जैवप्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं का पोषण	90.93 लाख	50.92 लाख	41.91 लाख
2.	7856 – जैवविविधता बोर्ड से संबंधित व्यय	429.00 लाख	429.00 लाख	182.17 लाख
	योग	**519.93 लाख**	**429.00 लाख**	**224.08 लाख**

1.9 मध्य प्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड

- मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड म.प्र.शासन के वन विभाग के अंतर्गत एक स्वशासी संस्था है, जिसका गठन 12.07.2005 को म.प्र.सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत किया गया था। बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की वन नीति 2005 की कंडिका 3.16 ईकोपर्यटन नीति निर्देशों के अनुसार ईकोपर्यटन गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है।

- म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड के गतिविधियों के संचालन हेतु राज्य शासन के बजट मद 5830 से अनुदान, राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्यों की विकास निधि से 10 प्रतिशत राशि एवं अन्य स्त्रोतों से वित्तीय संसाधन प्राप्त होते हैं।

  वित्तीय वर्ष 2020–21 मे विभिन्न स्त्रोतों से बोर्ड को निम्नानुसार वित्तीय संसाधन प्राप्त हुए हैं जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.58 में दर्शित है :–

तालिका क्रमांक – 1.58

अनु.क्र	स्त्रोत	माह नवम्बर 2020 तक प्राप्त राशि (रू.लाख में)	माह नवम्बर 2020 तक व्यय राशि (रू.लाख में)
1.	राज्य शासन से बजट मद 5830 से बोर्ड को अनुदान	181.87	181.87
2.	राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्यों की विकास निधि से प्राप्त राशि	123.33	127.16
	योग :–	**305.20**	**309.03**

- **बोर्ड की प्रशासनिक संरचनाः–**

बोर्ड की प्रशासनिक संरचना में दो प्रमुख समितियाँ हैंः– साधारण सभा एवं कार्यकारी समिति। साधारण सभा के पदेन सभापति माननीय वन मंत्री, म.प्र.शासन है तथा कार्यकारी समिति के पदेन अध्यक्ष प्रमुख सचिव, वन विभाग हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन विभाग दोनों समितियों के सदस्य है। बोर्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सहायक महाप्रबंधक पदस्थ हैं, जो वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर हैं। प्रदेश के 16 क्षेत्रीय वन वृत्त के मुख्य वन संरक्षक, 11 अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों के मुख्य वन संरक्षक, 63 क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी और 10 राष्ट्रीय उद्यान के संचालक एवं उप संचालक बोर्ड के पदेन क्षेत्रीय अधिकारी हैं।

- **बोर्ड की प्रमुख गतिविधियॉ निम्नानुसार हैं :–**

अ. ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों की पहचान एवं विकास

ब. टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में ईकोपर्यटन विकास

स. जागरूकता कार्यक्रम

द. प्रशिक्षण सह क्षमता विकास

उक्त गतिविधियों में किये गये प्रमुख कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

अ. ईकोपर्यटन गंतव्य स्थल का विकासः

म.प्र.राज्य द्वारा ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों के विकास हेतु अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी, 2016 द्वारा म.प्र.वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 अधिसूचित किये गये हैं। इन नियमों का प्रमुख उद्देश्य आरक्षित वनों में मनोरंजन क्षेत्र/वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाकर ईकोपर्यटन की आधारभूत संरचनायें विकसित की जाना है। माह नवम्बर 2020 तक कुल 129 स्थल उक्त नियम के तहत मनोरंजन/वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जा चुके हैं, जिनमें से 61 क्षेत्रों को विकसित करने हेतु योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं। अब तक मनोरंजन/वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्रों के अतिरिक्त 123 गंतव्य स्थलों की स्वीकृति दी गई है।

बोर्ड द्वारा हिनौता, कुकरू, समर्धा, कठौतिया, देवरी, पायली, मटकुली, बोरियामाल, रनेह फॉल, गांधीसागर, परसापानी गंतव्य स्थलो में कक्ष/टेंट, एक दिवसीय पैकेज एवं कैम्प की गतिविधियों की बुकिंग हेतु Online Booking सुविधा आरंभ की गई है।

ब. टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में ईकोपर्यटन विकासः

म.प्र.राज्य मे टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिये मुख्य आकर्षण का केन्द्र हैं। राज्य के सभी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में पर्यटन के दबाव को कम करने की दृष्टि से इनके बफर क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश के 6 टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों एवं अन्य प्राकृतिक सौन्दर्य के क्षेत्रों के 30 गंतव्य स्थलों में विभिन्न ईकोपर्यटन गतिविधियां प्रारम्भ की गई है। पर्यटकों की सुविधा हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. द्वारा बफर क्षेत्रों के प्रवेश हेतु भी Online Booking सुविधा प्रारम्भ की जा चुकी है। पर्यटन वर्ष 2019–20 में लगभग 59,000 पर्यटकों के द्वारा विभिन्न टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में भ्रमण किया गया।

स. जागरूकता कार्यक्रमः

जागरूकता कार्यक्रम ''अनुभूति'': वन, वन्यप्राणी एवं पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता दर्शाने एवं इस संदेश के समाज में प्रचार–प्रसार हेतु बोर्ड द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। जन सामान्य में वन एवं वन्यप्राणी तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता विकसित करने के संदेश के प्रसार हेतु स्कूली विद्यार्थी प्रभावशाली संवाहक हैं। इसे ध्यान में रखते हुये वन विभाग द्वारा म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष ''अनुभूति कार्यक्रम'' का आयोजन किया जा रहा है। इस कैम्प में विद्यार्थियों को स्थानीय प्राकृतिक सौंदर्य के स्थलों में वन भ्रमण, नेचर ट्रेल भ्रमण एवं अन्य गतिविधियॉ आयोजित कर पारिस्थितिकी के घटकों की व्याख्या, पर्यावरण सरंक्षण, जैव विविधिता, पक्षी दर्शन, वन औषधी एवं वन प्रबंधन की सामान्य जानकारी एवं अनुभव प्रदान किया गया। फील्ड् ट्रेनर्स हेतु दो दिवसीय फील्ड् ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन माह नवम्बर 2020 में म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) भोपाल में किया गया जिसमें 60 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया कोविड–19 की परिस्थितियों के कारण शेष प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए । वर्ष 2020–21 हेतु कोविड–19 की परिस्थितियों के कारण स्कूल बंद होने से अनुभूति शिवरों का आयोजन संभव नहीं हो पा रहा है।

द. प्रशिक्षण सह क्षमता विकासः

ईकोपर्यटन गतिविधियों का मूल उद्देश्य ईकोपर्यटन से स्थानीय समुदाय की आजीविका के अवसर विकसित करना भी है, जिसे ध्यान में रखते हुये स्थानीय नागरिकों को गाईड प्रशिक्षण, नाविक प्रशिक्षण, खानसामा प्रशिक्षण, कैम्प प्रबंधन प्रशिक्षण आदि हेतु कोविड–19 की परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रशिक्षण के आयोजन हेतु तैयारियॉ की गई जिसमें टाइगर रिजर्व के कोर एवं बफर क्षेत्र में कार्यरत लगभग 650 गईडों को प्रशिक्षण दिया गया एवं जारी है।

1.10 मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन

1.10.1 म.प्र. राज्य बांस मिशन की स्थापना एंव उद्देश्य :–

प्रदेश के बांस वनों की उत्पादकता में कमी तथा बांस एवं बांस उत्पादों के विपणन में हो रही कठिनाईयों की दूर करने के लिये राज्य शासन द्वारा दिनांक 3 जुलाई 2013 को म.प्र. राज्य बांस मिशन (सोसायटी) के गठन के आदेश दिये गये। बांस मिशन का दिनांक 15.07.2013 को मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन पंजीकरण किया गया। सितम्बर 2013 से मिशन द्वारा पृथक से कार्य प्रारंभ किया गया।इसी के साथ प्रदेश में बांस शिल्पियों के मामलो पर सलाह देने हेतु मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन के अंतर्गत 'मध्यप्रदेश बांस एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड' का गठन किया गया।

राज्य बांस मिशन का मुख्य कार्य राष्ट्रीय बांस मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रदेश स्तर पर योजना तैयार कर उसको क्रियान्वयन कराना है। पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन के नवीन दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य शासन द्वारा वन विकास अभिकरणों को जिला स्तरीय बेम्बू डेवलेपमेंट एजेन्सी का कार्य भी अतिरिक्त रूप से करने हेतु अधिकृत किया गया है।

म.प्र. राज्य बांस मिशन की साधारण सभा के अध्यक्ष म.प्र. शासन के वनमंत्री तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी सदस्य सचिव है। मिशन की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव वन/प्रमुख सचिव वन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सदस्य सचिव है।

वर्तमान में प्रधान मुख्य वनसंरक्षक स्तर के अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं।

1.10.2 म.प्र. राज्य बांस मिशन की योजनाएं तथा कार्यक्रम

म.प्र. राज्य बांस मिशन को योजना क्रमांक 7458– समग्र बांस विकास योजना 42 सहायक अनुदान 007 अन्य के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में राशि प्राप्त होती है।

वर्ष 2020–21 में राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा मध्य प्रदेश की रू. 2327.63 लाख की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का 3:2 का अनुपात है।

योजना हेतु राज्य बांस मिशन को अनुदान की प्रथम किश्त प्राप्त हो चुकी हैं।

1.10.3 विगत वर्षों में प्रदेश के बांस क्षेत्र विकास हेतु कराये गये मुख्य कार्यों का विवरण निम्नानुसार है–

व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बांस प्रजातियों का विकास एवं बांस की उन्नत किस्मों का उत्पादन तथा बांस कृषि पद्धति का विस्तार

- पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन योजना अंर्तगत 4 उच्च तकनीक बांस रोपणियां (शासकीय) तथा 4 छोटी बांस रोपणियां (निजी क्षेत्र) में तैयार की गई हैं।
- प्रदेश में समस्त 11 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में बांस की विभिन्न प्रजातियों की फील्ड ट्रायल हेतु 12 बेम्बूसेटम की स्थापना की गई है।
- फील्ड ट्रायल में सफल बांस प्रजातियों के कृषि भूमि पर बांस प्रदर्शन प्लाट स्थापित किये गये हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना अंर्तगत 92 बांस प्रदर्शन प्लाट स्थापित किये गये हैं।
- कृषि क्षेत्र में बांस वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक 7452 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस की विभिन्न प्रजातियों का रोपण कराया गया है।
- बांस सामान्य सुविधा केन्द्रों एवं प्रदेश के प्रमुख बांस कल्स्टरों में निम्नलिखित बांस आधारित सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित किये गये हैं जिसका विवरण तालिका क्रमांक – 1.59 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक –1.59

बांस इकाई का नाम	निजी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली इकाइयों की संख्या	शासकीय इकाइयों की संख्या
बांस का उपचारण एवं संरक्षण	5	7
बांस उत्पाद निर्माण एवं प्रसंस्करण	20	36
बांस बाजार हेतु अधोसंरचना का विकास	6	5

- म.प्र. राज्य बांस मिशन द्वारा बांस क्षेत्र से जुड़े कार्यो के संपादन हेतु निम्नलिखित संस्थाओं से समन्वय किया गया है –

अ. बांस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य हेतु म.प्र. लघुवनोपज संघ, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलोर तथा वर्षा वन अनुसंधान संस्थान(RFRI), जोरहट से समन्वय किया गया।

ब. बांस उत्पाद निर्माण एवं कौशल उन्नयन हेतु बेम्बू एण्ड केन डेवलेपमेंट इन्स्टीट्यूट (BCDI), म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (MPCST) से समन्वय किया गया।

स. मिशन द्वारा प्रदेश के कुल 2017 परम्परागत बांस शिल्पकारों को बांस उत्पाद निर्माण एवं कौशल उन्नयन हेतु बांस हस्तशिल्प, बास्केटरी, बांस आभूषण, बांस फर्नीचर, टर्निंग प्रोडक्ट एवं यूटीलिटी हस्तशिल्प आइटम इत्यादि विधाओं में प्रशिक्षित कराया गया है।

1.10.4 वर्ष 2020–21 की स्वीकृत कार्य योजना की प्रमुख गतिविधियां निम्नानुसार हैं–

1. बांस की उन्नत किस्मों का उत्पादन तथा बांस कृषि पद्धति का विस्तार

- इस वर्ष राष्ट्रीय बांस मिशन योजना अंर्तगत निजी क्षेत्र में 1 छोटी बांस रोपणियां (निजी क्षेत्र) में स्थापित की जा रही है।
- प्रदेश में बांस मिशन योजना में इस वर्ष 3520 हेक्टयर क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में बांस रोपण कराया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रति पौधा 120 रू. की दर से कृषकों को अनुदान प्रदान किया जाता है।
- राज्य बांस मिशन द्वारा प्रदेश के 11 वन मंडलों के अंतर्गत कुल 1020 हेक्टेयर क्षेत्र वन भूमि पर मनरेगा योजना में बांस वृक्षारोपण पूर्ण कार्य कराया गया है। यह कार्य 83 स्व सहायता समुहों के माध्यम से कराया जा रहा है।

2. बांस का उपचारण एवं संरक्षण –

- इस गतिविधि के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य कराये जा रहे हैं जिसका विवरण तालिका क्रमांक – 1.60 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक – 1.60

बांस इकाई का नाम	निजी क्षेत्र की इकाइयों की संख्या
बांस उपचारण एवं सीजनिंग इकाई	02
बांस कार्बोनाइजेशन इकाई	02
बांस आजीविका प्रसंस्करण केन्द्र	01

3. बांस उत्पाद निर्माण एवं प्रसंस्करण –

इस गतिविधि के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य प्रावधानित किये गये हैं जिसका विवरण तालिका क्रमांक – 1.61 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक – 1.61

बांस इकाई का नाम	निजी क्षेत्र की इकाइयों की संख्या	शासकीय इकाइयों की संख्या
बांस प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन इकाई	03	04
बांस कचड़ा प्रबंधन ईकाई की स्थापना	02	05
बांस हस्त शिल्प इकाई	0	04
बांस फर्नीचर निर्माण इकाई	03	02
अगरबत्ती काड़ी निर्माण इकाई	0	08
एक्टीवेटेड कार्बन उत्पाद इकाई	0	02
बांस बोर्ड /मेट बोर्ड इकाई	0	01

उपरोक्त में से निजी क्षेत्र की नौ बांस इकाइयों (बांस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई–1, अगरबत्ती निर्माण इकाई–4, बांस हस्तशिल्प –1 कार्बोनाइजेशन इकाई–1, बांस रोपणी–1 एवं एक्टीवेटेड कार्बन इकाई–1) को स्वीकृत कर हितग्राहियों को रू. 122.65 लाख का अनुदान वितरित किया गया है।

4. कौशल उन्नयन प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार–

- इस गतिविधि के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य कराये जावेंगे जिसका विवरण तालिका क्रमांक – 1.62 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक – 1.62

गतिविधि का विवरण	भौतिक लक्ष्य
बांस शिल्पकार, कृषक,उद्यमियों एवं क्षेत्रीय अमले का प्रशिक्षण	350
बांस कार्यशाला एंव बांस ट्रेड फेयर	11

5. अनुसंधान एवं विस्तार –

- इस गतिविधि के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य कराये जा रहे हैं जिसका विवरण तालिका क्रमांक – 1.63 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक – 1.63

गतिविधि का विवरण	भौतिक लक्ष्य
बांस प्रदर्शन प्लाट	06
बांस मार्केट रिसर्च	01

वित्तीय उपलब्धियाँ –

- म.प्र. राज्य बांस मिशन का वर्ष 2018–19 एंव 2019–20 में व्यय तथा वर्ष 2020–21 हेतु स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना का विवरण निम्नानुसार है जिसका विवरण तालिका क्रमांक – 1.64 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक – 1.64

राशि– लाख रू. में

क्र.	योजना का नाम	वर्ष	राज्यांश	केन्द्रांश	योग
1.	योजना क्रमांक 7458 समग्र बांस विकास योजना	2018–19	1637.54	1111.20	2748.74
2.		2019–20	767.37	511.58	1278.95
3.		2020–21 (स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना)	1396.58	931.05	2327.63

भाग–2
बजट विहंगावलोकन

2.1 आयोजना व्यय :–

वर्ष 2018–19 से 2020–21 की अवधि का आयोजना मद में आवंटन एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार तालिकाओ मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक 2.1
राज्य योजनाएँ

(राशि लाख रू. में)

योजना का नाम	2018–19		2019–20		2020–21 (दिसम्बर तक)	
	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
(0190) डिक्रीधन का भुगतान	30.00	29.87	36.00	24.20	11.52	11.47
(0252) अनुग्रह अनुदान आर्थिक सहायता	5.40	5.40	5.46	1.92	0.00	0.00
(0534) वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत व्यापवर्तित वन भूमि से वनोपज का विदोहन	346.60	276.99	120.59	51.45	69.04	58.43
(0535) ईमारती	8958.50	8601.00	6618.55	2337.35	9436.56	7031.97
0667 कृषि वानिकी हेतु उपमिशन	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(0678) वनग्राम एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में विकास कार्य	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
(0792) कर्मचारी कल्याण	250.37	220.89	104.00	51.07	14.40	10.67
(0833) नर्मदा नदी के किनारे वन भूमि पर वृक्षारोपण	1350.00	1178.94	666.09	0.00	0.00	0.00
(0999) ढीमरखेड़ा माइक्रो सिंचाई योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1093) खैर	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1306) वैकल्पिक वृक्षारोपण निधि से व्यय	2508.19	1894.75	909.31	654.80	80.00	61.05

योजना का नाम	2018–19		2019–20		2020–21 (दिसम्बर तक)	
	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
(1306) वैकल्पिक वृक्षारोपण निधि से व्यय					1000.00	555.11
(2298) काष्ठ एवं बांस विक्रय केन्द्र की स्थापना	25.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
(2299) मुख्यमंत्री तेन्दूपत्ता संग्राहक कल्याण दुर्घटना सहायता योजना	180.00	23.00	18.19	4.00	0.00	0.00
(2301) बांस शिल्पकारों को छात्रवृत्ति योजना	12.50	0.00	8.00	0.00	1.60	0.40
(2330) वन मानचित्रों का डिजिटाईजेशन	500.00	0.00	5000.00	16.92	798.32	45.02
(2536) विस्तार वानिकी	1976.90	1721.75	1905.03	896.71	800.01	549.77
(2723) प्रशासन सुदृढ़ीकरण	2027.80	1629.37	2090.71	1021.79	1799.80	1215.20
(2901) बांस	1264.50	1084.40	809.79	119.70	421.24	363.61
(3873) वन अपराध का पता लगाने हेतु पुरस्कार	14.00	12.03	12.73	6.37	2.19	1.61
(3885) वन विकास निधी से अंतरण	9.00	0.00	9.09	0.00	0.01	0.00
(3896) वन्यप्राणी द्वारा जनहानि करने का क्षतिपूर्ति	1584.00	1322.08	1440.35	967.72	1443.35	1102.32
(4342) वन अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण	5078.31	4488.30	5101.19	2822.33	3601.19	1325.16
(5108) अध्ययन एवं अनुसंधान	221.00	216.41	220.31	52.81	150.00	85.62
(5109) ग्रामों के पुर्नवास हेतु मुआवजा	6000.00	5429.99	6250.00	3114.17	1470.01	1540.00
(5387) कार्य योजना का निर्माण	0.00	0.00	600.00	304.22	550.00	293.60
(5399) मध्यप्रेदश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन योजना	0.00	0.00	25000.00	0.00	10000.00	7406.29
(5830) ईको टूरिज्म बोर्ड को अनुदान	900.00	900.00	909.31	429.18	181.89	181.87
(6218) भवनो की मरम्मत	900.00	848.77	1336.52	679.28	728.13	541.75

योजना का नाम	2018–19		2019–20		2020–21 (दिसम्बर तक)	
	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
(6349) संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन	992.00	930.68	974.61	474.29	774.59	459.38
(6355) जू एवं रेस्क्यू सेन्टर की स्थापना	155.76	101.70	1231.04	306.36	311.39	284.22
(6397) नर्सरियों में पौधा तैयारी	7937.39	7019.54	4107.23	3206.44	4041.35	1906.60
(6572) साल बोरर	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
(6699) वन विकास उपकर निधि से व्यय	3760.00	3647.01	1832.40	0.00	0.03	0.00
(7097) कौशल विकास	10.00	9.99	5.09	6.58	0.00	0.00
(7672) जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं का पोषण	100.00	70.00	90.93	20.00	90.93	50.92
(7680) संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश का प्रदाय	6600.00	1917.72	5201.45	2397.18	1040.29	1040.29
(7691) निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना	162.00	50.09	71.29	33.78	0.00	0.00
(7781) मालिक मकबूजा लकड़ी का क्रय	3132.00	3467.67	0.01	1016.71	2956.00	2603.70
(7800) सोलर स्सिटम का रख–रखाव	63.00	54.26	28.00	13.17	5.60	5.60
(7856) जैव विविधता बोर्ड संबंधी व्यय	386.10	386.10	429.00	85.80	429.00	429.00
(7882) कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन – संरक्षण समूह	34088.50	32992.82	42445.07	27123.56	34843.56	20581.47
(8808) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	90.00	23.35	36.00	20.31	7.20	7.19
(9136) वनोपज निकासी मार्ग का संधारण	30.00	29.98	190.00	103.70	181.00	100.53
(9137) वनक्षेत्रों में सार्वजनिक मार्गो का संधारण	30.00	29.99	20.00	15.49	8.00	7.62
(9138) वनक्षेत्रों में पेट्रोलिंग मार्गो का संधारण	40.00	39.97	40.00	29.40	16.00	12.07

योजना का नाम	2018–19		2019–20		2020–21 (दिसम्बर तक)	
	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
(9184) राज्य वन अनुसंधान संस्थान	630.00	630.00	636.52	356.45	400.00	224.00
(9664) केम्पा प्रतिपूरक वनीकरण					7808.05	2795.35
(9665) केम्पा आवाह क्षेत्र उपचार प्रभार					263.40	99.02
(9666) केम्पा वन्य जीव संरक्षण योजना प्रभार					0.60	0.00
(9667) केम्पा निवल वर्तमान मूल्य					27069.80	15839.14
(9668) केम्पा ब्याज					4869.12	8.14
(9669) केम्पा अन्य					0.60	0.00
5110 बुन्देलखण्ड पैकेज	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
4349 सड़कों का निर्माण एवं सड़क व पुलों की दुरस्ती	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6898 13 वां वित्त आयोग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7687 कार्य आयोजना का क्रियानवयन पुनर्स्थापना समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7688 कार्य आयोजना का क्रियान्वयन अन्य कार्यवृत्त	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7240 सेटेलाईट इमेजरी का क्रय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7487 प्राकृतिक संसाधनों एवं परिस्थितिक तंत्र का संरक्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7461 अभिनव योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7462 हरियाली चुनरी	195.20	171.94	0.00	0.00	0.00	0.00
7459 कुटीर उद्योग नेटवर्क की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7460 किसान लक्ष्मी योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0674 दीनदयाल वनांचल	468.00	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2027 राज्य कैपा अंश	32.40	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**93422.70**	**81625.53**	**116509.90**	**48765.21**	**117675.79**	**68835.16**

तालिका क्रमांक 2.2

केन्द्र प्रवर्तित योजनायें

(राशि लाख रू.में)

योजना का नाम	2018–19		2019–20		2020–21	
	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
(3730) Wildlife Habibat			21669.47	3816.86	2687.66	2141.47
(3730) वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	19808.03	10394.32			8670.67	3967.75
(5317) Modern Forest fire Control Method			490.02	222.79	289.12	148.96
(5317) गहन वन प्रबंधन	700.02	657.01			0.04	0
(7458) समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केन्द्रीय प्रवर्तित)	18018	2836.73	3584	1307.75	2715	1249.44
(7488) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	15810	3057.67	6000	2554.22	6000.01	2400
(7489) आयुष सहित औषधीय पौधों पर राष्ट्रीय मिशन	22.5	0	0	0	0	0
योग:–	**54358.55**	**16945.73**	**31743.49**	**7901.62**	**20362.5**	**9907.62**

तालिका क्रमांक 2.3

केन्द्र क्षेत्रीय योजना/बाहय वित्त पोषित योजनायें

(राशि लाख रू. में)

योजना का नाम	2018–19		2019–20		2020–21	
	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
(0664) इको सिस्टम सर्विसेस इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट	0.01	0	0.02	0	2000.00	924.59
(5231) लघुवनोपज संघ को अनुदान	1265.67	824.63	1270.67	721.80	0	0
योग	**1265.68**	**824.63**	**1270.69**	**721.80**	**2000.00**	**924.59**

तालिका क्रमांक 2.4

स्थापना व्यय

(राशि लाख रू. में)

योजना का नाम	2018–19		2019–20		2020–21	
	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
(0812) कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृतों की स्थापना	110216.37	89895.94	99057.17	76216.95	105838.3	71224.18
(2899) राष्ट्रीय उद्यान स्थापना	12513	10960.74	12458.40	9449.36	13549.41	8972.69
(3555) Head Quarters	5608.76	4259.95	5937.15	3258.94	5851.01	2927.95
(4462) Forest Training	2517.08	1846.15	2407.37	1581.71	2487.35	1699.4
योग	**130855.21**	**106962.78**	**119860.09**	**90506.96**	**127726**	**84824.22**

2.2 आयोजनेत्तर व्यय एवं राजस्व :–

आयोजनेत्तर वार्षिक आवंटन एवं व्यय तथा सकल राजस्व का विवरण निम्नानुसार तालिकाओं मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक 2.5

आयोजनेत्तर व्यय

(राशि करोड़ में)

क्र.	मद	2018–19		2019–20		2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	वेतन एवं भत्ते	905.23	861.52	982.02	756.75	1052.55	697.23
2	मजदूरी	157.19	148.68	681.35	404.63	730.55	486.19
3	कार्यालय व्यय	31.65	28.55	44.22	32.47	42.35	30.31
4	अनुरक्षण कार्य	2.32	2.07	5.47	2.96	1.67	1.29
5	भवनों/सड़कों का रखरखाव	10.00	9.49	14.59	9.40	8.95	6.62
6	ईमारती लकड़ी, बांस, खैर	0	0	73.28	31.71	94.71	74.54
7	अनुग्रह/अनुदान	6.35	6.35	5.14	3.58	3.20	2.24
8	गोपनीय सेवा, क्षतिपूर्ति पुरस्कार	15.98	13.34	11.62	11.04	11.56	11.04
9	लाभांश	66.00	19.18	41.61	24.03	10.40	10.40
10	कर एवं रायल्टी	158.45	0.95	0.76	0.03	0.23	0.20
11	विज्ञापन, सामग्री पूर्तियां एवं अन्य	129.14	48.18	791.67	292.38	642.51	324.73
12	भारित मद (डिक्रीधन)	0.30	0.30	0.29	0.24	0.12	0.11
13	वन विकास निधि में अंतरण	0.09	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
	योग	**1482.70**	**1138.62**	**2652.10**	**1569.25**	**2598.79**	**1644.92**

तालिका क्रमांक 2.6

कर, करेत्तर, सकल राजस्व

कर, करेत्तर, कुल राजस्व एवं वानिकी से आय

(राशि करोड़ में)

क्रमांक	राजस्व एवं व्यय	वर्ष 2018–19	वर्ष 2019–20	वर्ष 2020–21 (माह नवम्बर 2020 तक)
1	कर राजस्व	154.01	126.47	71.59
2	करेत्तर राजस्व	962.28	766.45	701.23
3	योग (1+2):–	1116.29	892.92	772.82
4	**वानिकी से सकल राजस्व**	**1116.29**	**892.92**	**772.82**

तालिका क्रमांक 2.7

बजट शीर्ष 0406 – वानिकी और वन्य जीवन

मदवार राजस्व

(राशि करोड़ में)

राजस्व बजट शीर्ष	2018–19		2019–20		2020–21 (माह नवम्बर 2020 तक)	
	बजट प्रावधान	प्राप्त आय	बजट प्रावधान	प्राप्त आय	बजट प्रावधान	प्राप्त आय
(101) लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की बिक्री						
(0180) शासकीय अभिकरण द्वारा वन से हटाई गई इमारती लकड़ी तथा अन्य वन उपज	98.21	12.56	87.30	7.18	8.23	14.20
(0189) उपभोक्ता अथवा क्रेताओं द्वारा वन से हटाई गई इमारती लकड़ी	93.68	8.69	80.74	9.06	16.47	4.41

राजस्व बजट शीर्ष	2018–19		2019–20		2020–21 (माह नवम्बर 2020 तक)	
	बजट प्रावधान	प्राप्त आय	बजट प्रावधान	प्राप्त आय	बजट प्रावधान	प्राप्त आय
(102) सामाजिक और फार्म वानिकी से प्राप्तियां	1.95	1.71	1.68	4.02	3.70	3.52
(103) पर्यावरणीय वानिकी से प्राप्तियां						0.02
(201) तेन्दू पत्ते के व्यापार से प्राप्तियां	0.26	0.00	0.24	0.07	0.08	0.05
(202) छोटी वन उपज का राजकीय व्यापार	0.00	0.11	0.00	0.05	0.00	0.05
(203) इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार	690.69	729.45	990.75	662.38	723.79	401.82
(204) बांस का राजकीय व्यापार	38.85	20.55	38.48	14.97	20.58	10.31
205–साल बीज का रा. जकीय व्यापार			0.00		0.00	
(206) खैर का राजकीय व्यापार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
(800) अन्य प्राप्तियां	226.36	211.78	300.81	70.23	463.39	266.85
0045–वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क वेट कर	0.00	0.00				
0236 वन विकास उपकर से प्राप्तियॉ	0.00	30.84	0.00	8.21	0.00	0.70
8443– सिविल जमा राशि (जी.एस.टी)		100.60	0.00	116.75	162.69	70.87
महायोग	**1150.00**	**1116.29**	**1500.00**	**892.92**	**1398.93**	**773.82**

भाग–3
योजनाएँ

3.1 कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन

विभाग में प्रत्येक वनमण्डल के 10 वर्षो की कार्य आयोजना तैयार कर वनों का प्रबंधन किया जाता है। कार्य आयोजना के माध्यम से कम घनत्व वाले वन क्षेत्रों में वनीकरण किया जाता है, साथ ही बिगडे वनों के सुधार गतिविधियॉ एवं सघन वनों में पुनरूत्पादन हेतु सहायक वन वर्धनिक कार्य, वन सीमांकन एवं अग्नि सुरक्षा कार्य कराये जाते है। जहां आवश्यक है वहां राशि की उपलब्धता अनुसार भूमि एवं जल संरक्षण किया जाता है। क्षेत्र की तकनीकी उपयुक्तता एवं आवश्यकतानुसार चारागाह एवं जलाऊ रोपण भी किया जाता है। इस हेतु कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन एवं वन विकास उपकर निधि से व्यय योजना के अन्तर्गत बजट में प्रावधान कराया जाता है।

कार्य आयोजनाओं के क्रियान्वयन अन्तर्गत विगत वर्षो में कराये गये कार्यों की भौतिक एवं आर्थिक उपलब्धियों की जानकारी तालिका क्रमांक 3.1 में दर्शित है ।

तालिका क्रमांक 3.1

क्षेत्रफल हे. में /राशि लाख रु. में

वर्ष	कार्य आयोजनाओं के कार्यवृत्त	लक्ष्य		उपलब्धि	
		भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक
2016-2017	संरक्षण समूह	18016	54708.60	18016	49763.49
	पुनरूत्पादन समूह	131739		130739	
	पुनर्स्थापना समूह	158966		151861	
2017-2018	संरक्षण समूह	5870	48707.03	5870	47058.28
	पुनरूत्पादन समूह	171789		171789	
	पुनर्स्थापना समूह	93517		93517	
2018-2019	संरक्षण समूह	14570	38775.00	14570	36640.00
	पुनरूत्पादन समूह	167274		167274	
	पुनर्स्थापना समूह	169676		169676	
2019-2020	संरक्षण समूह	3453	42445.07	3453	35348.13
	पुनरूत्पादन समूह	141061		141061	
	पुनर्स्थापना समूह	89386		89386	
2020-2021	पुनरूत्पादन समूह	123320	33085.82	सतत	21824.72
	पुनर्स्थापना समूह	11539		सतत्	(Upto Jan.2021)

विभिन्न विभागीय योजनान्तर्गत निम्नानुसार पौधा रोपण का कार्य का विवरण तालिका क्रमांक 3.2 में दर्शित है ।

तालिका क्रमांक 3.2

रोपण वर्ष	विभागीय रोपण (पौधों की संख्या)
2016-2017	4,51,59,156
2017-2018	5,88,39,400
2018-2019	5,43,71,563
2019-2020	3,34,29,268
2020-2021	3,86,00,000

3.2 वन अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण

इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः वन विभाग के कार्यालय भवन, वन कर्मचारियो के आवास, सामूहिक गश्ती दल के लिये चौकी, चौकी पर रहने वाले कर्मचारियों के परिवारों को आवास हेतु लाईन क्वार्टर का निर्माण कराया जाता है। इस योजना से वन प्रबंध हेतु विश्राम गृह, वनमार्ग निर्माण, पुल पुलिया, रपटा, सौर ऊर्जा, जल प्रबंध, दूर संचार, वॉचटावर, बेरियर आदि जैसी अधोसंरचना का भी निर्माण कार्य कराया जाता है। व्यय की जानकारी तालिका क्रमांक 3.3 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 3.3

वर्ष	भौतिक	आर्थिक लाख रु. में
2016-2017	298 भवन	3496.43
2017-2018	270 भवन	4482.45
2018-2019	307 भवन	4488.00
2019-2020	338 भवन	3739.91
2020-2021	174 भवन	1458.37 (Upto Jan.2021)

3.3 विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएँ /परियोजनाएँ

ईको सिस्टम सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट Ecosystem Service Improvment Project (ESIP) :

विश्व बैंक सहायता से शत प्रतिशत वित्त पोषित परियोजना 16/08/2017 को स्वीकृत की गई है। यह परियोजना केवल मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियांवित की जा रही हैं। इस योजना के परिणामों के आधार पर योजना को पूरे देश में लागू किया जावेगा।

योजना के तहत मध्यप्रदेश राज्य को रू. 49.27 करोड़ की राशि ग्रांट के रूप में प्राप्त होगी। यह योजना 16.08.2017 से 31.07.2022 तक संचालित होगी। इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार विश्व बैंक के समन्वय से किया जा रहा है।

योजना का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्र/पर्यावरण सेवाओं को बढ़ावा देना, भू–जल संरक्षण हेतु संधारण क्षमता को मजबूत करना एवं छोटे लैंडस्केप से कार्बनस्टॉक को मापने की पद्धति का विकास करना, संवहनीय भूप्रबंधन विकास व वनों पर आधारित स्थानीय समुदाय को आजीविका के साधन उपलब्ध करना है।

इस योजना के क्रियान्वयन में प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता से संस्थागत क्षमता में वृद्धि, वनों की गुणवत्ता में सुधार, वनों पर निर्भर समुदायों की आजीविका में सुधार, निजी एवं सामुदायिक भूमियों के भू–क्षरण में कमी लाना तथा वन–प्रबंधन, भू–प्रबंधन एवं भू उपयोग के क्षेत्र में नवीन तकनीक का समावेश होगा।

ई.एस.आई.पी परियोजना क्षेत्रः– परियोजना मूल रूप से ग्रीन इंडिया मिशन के तहत बड़वानी, बालाघाट दक्षिण, बैतूल उत्तर एवं पश्चिम, धार, डिंडोरी, होशंगाबाद, झाबुआ, पन्ना दक्षिण, रायसेन, सागर दक्षिण, सतना, सीहोर, सेंधुआ, सिवनी दक्षिण, शिवपुरी एवं उमरिया वनमंडलों में क्रियान्वित की जा रही है।

ई.एस.आई.पी प्रदर्शन क्षेत्रः– परियोजना के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए होशंगाबाद (5D3D6k), सीहोर (5D4A1b) एवं उत्तर बैतूल (5D5A2h) वनमण्डलों में लेवल–2 के एक–एक मिली वाटर शैड लैंडस्केप का चयन किया गया है।

वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में स्वीकृत ए.पी.ओ. अनुसार 2448.30 (30/09/2020 तक) लाख रूपये का व्यय हुआ है। होशंगाबाद , उत्तर बैतूल एवं सिहोर वनमण्डलों में 1079 हेक्टेयर क्षेत्र में 4.44 लाख पौधों का रोपण (2019–20) एवं 1345 हेक्टेयर क्षेत्र में 2.70 लाख पौधों का रोपण (2020–21) किया गया है। होशंगाबाद , उत्तर बैतूल एवं सिहोर वनमण्डलों में 600 हेक्टेयर (ए.पी.ओ. 2020–21) नए क्षेत्रों का चयन किया गया है जिसके अन्तर्गत क्षेत्र तैयारी, मृदा एवं जल संरक्षण कार्य एवं रोजगार मूलक गतिविधियॉ करायी जा रही है।

ईको सिस्टम सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की अद्यतन प्रगति

1. वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 1079 हे. बिगड़े/मध्यम सघन वन क्षेत्रों का उपचार किया गया जिसके अन्तर्गत क्षेत्र तैयारी, मृदा एवं जल संरक्षण कार्य एवं रोजगार मूलक गतिविधियॉ करायी गई।

2. वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 1079 हे. बिगड़े/मध्यम सघन वन क्षेत्रों में 4.44 लाख पौधों का रोपण किया गया है एंव 1345 हे. बिगड़े/मध्यम सघन वन क्षेत्रों का उपचार किया गया जिसके अन्तर्गत क्षेत्र तैयारी, मृदा एवं जल संरक्षण कार्य एवं रोजगार मूलक गतिविधियॉ करायी गई।

3. वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत 1345 हे. बिगड़े/मध्यम सघन वन क्षेत्रों में 2.70 लाख पौधों का रोपण किया गया है एंव 600 हे. नए क्षेत्रों का चयन किया गया है जिसके अन्तर्गत क्षेत्र तैयारी, मृदा एवं जल संरक्षण कार्य एवं रोजगार मूलक गतिविधियॉ करायी जा रही है।

4. होशंगाबाद, बैतूल, सीहोर, वनमंडलों में अभी तक (वर्ष 2017–21) कुल 2424 हे. बिगड़े/मध्यम सघन वन क्षेत्रों में 7.14 लाख पौधों का रोपण किया जा चुका है।

5. परियोजना अन्तर्गत अनुसंधान एवं विस्तार, भोपाल वृत्त के बांसापुर नर्सरी, सीहोर वनमण्डल का उत्थान किया गया। जिसके अंतर्गत c.c. बेड– 200, रूट ट्रेनर्स 01 लाख यूनिट, पॉली हाऊस–720 sq.m, ग्रीन हाऊस –722 sq.m, सीड ट्रीटमेन्ट प्लेटफार्म–300 sq.m, वर्मी कॉम्पोस्ट यूनिट 10X6m के 04 टैंक एवं स्प्रिंकलर सेट 200 बेड्स के लिए लगाये गये।

6. परियोजना अन्तर्गत ग्रीन इंडिया मिशन के वनमण्डलों में सर्वेक्षण कार्य हेतु 72 जी.एन.एस.एस. हेण्डसेट क्रय किये गये।

7. होशंगाबाद, बैतूल, सीहोर, वनमंडल के अंतर्गत प्लांटेशन क्षेत्रो में मृदा जल संवर्धन के कार्य जैसे 3235 बोल्डर चेकडैम, 727 बरुशवुड चेकडैम, 03 गबलियन, 21 तालाब निर्माण, 12 तालाब गहरीकरण, 1285 पार्कोलेशन टैंक, 1 वेस्टवेयर, आदि किये गए।

8. परियोजना का कार्य होशंगाबाद की इटारसी, सुकतवा एवं बानापुरा रेंज के 5 वन समितियों, उत्तर बैतूल के भौरा रेंज की 8 वन समितियों एवं सीहोर वनमंडल के बुधनी रेंज की 7 समितियों में किया जा रहा है। परियोजना गतिविधियों का लाभ 20 वनसमिति के 12969 ग्रामीणों को प्राप्त हो रहा है।

9. एक राष्ट्रीय स्तर, चार वनमण्डल स्तर, सात परिक्षेत्र स्तर एवं 24 ग्रामीण स्तर की कार्यशालायें आयोजित की गई। परियोजना क्षेत्रों के लगभग 910 वन समिति सदस्यों हेतु 17 भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

10. वर्ष 2020–21 तक कुल 2214 ग्रामीण हितग्राहियों को आजीविका सम्बन्धी प्रशिक्षण जैसे महुआ फूलों का एकत्रीकरण जाली का उपयोग कर, मधुमक्खी पालन एवं शहद एकत्रीकरण, मशरूम उत्पादन, मुर्गी पालन, मछली पालन, प्रदान किया गया। इन 2214 हितग्राहियों में से 469 युवाओं के लिए विशेष रोजगार उन्मूलक कौशल उन्नयन प्रशिक्षण जैसे सिक्योरिटी गार्ड, लाइट मोटर वीकल ड्राइविंग, सिलाई प्रशिक्षण एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

11. आजीविका सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राहियों में 42 प्रतिशत महिलाये है। रोजगार उन्मूलक कौशल उन्नयन प्रशिक्षण एवं आजीविका सम्बन्धी प्रशिक्षण के हितग्राहियों में 78 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं 22 प्रतिशत अन्य कमजोर वर्ग के हितग्राही है।

12. ESIP प्लांटेशन (क्षेत्र तैयारी, रोपण एवं मैन्टेनन्स) एवं मृदा जल संवर्धन कार्य के अंतर्गत कुल 4,51,200 मानव दिवस रोजगार उपलब्ध करवाया गया। परियोजनाओं के अंतर्गत 76.98 % अनु.ज.जाति एवं 4.74 % अनु. जाति वर्ग को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाया गया।

13. उत्तर बैतूल वनमण्डल में 12 महिलाओं को प्रशिक्षित कर सेनेटरी पैड निर्माण करने हेतु यूनिट स्थापित किया गया।

14. कुल 123 सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं द्वारा कोविड–19 से बचाओ हेतु 1.50 लाख मास्क का निर्माण किया गया जिससे औसतन हर महिला को 2747 रूपये की आमदनी हुई।

15. "इलेक्ट्रिशियन एवं मोटर वाइंडिंग" के लिए प्रशिक्षित 33 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की श्रेणी में प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत पंचायत से 80,000 रूपये का बिजली फिटिंग सम्बंधित कार्य प्राप्त हुआ एवं एक प्रशिक्षु युवती रितिका खांडे ग्राम हांड़ीपानी को प्रशिक्षण प्रदान करने वाली स्वयं सेवी संस्थान " रूरल स्किल इंडिया" द्वारा मास्टर ट्रेनर का रोजगार 6000 रूपये प्रति माह की दर से उपलब्ध करवाया गया जो की महिला शसक्तिकरण के क्षेत्र में एक सराहनीय कदम रहा है।

16. 795 महुआ जाली का वितरण कुल 626 हितग्राहियों को तीनो वन मंडलों में किया गया, जिसका उपयोग कर 988.75 क्विंटल महुआ फूल का एकत्रीकरण एवं व्यापार किया गया। महुआ फूल व्यापार से कुल 33,52,535 रूपये की हितग्राहियों को आमदनी हुई। महुआ जाल के द्वारा अच्छी गुणवत्ता के महुआ संग्रहण से ग्रामिणों को लाभ के साथ साथ अग्नि घटनाओं में कमी व वनो में पुनरुत्पादन में वृध्दि हुई।

भाग–4

4.1 पुरस्कार

पुरस्कार वितरण संबंधी कार्यवाही –

''मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता क्विज कार्यक्रम–2020''

''मध्यप्रदेश राज्य ऑनलाईन जैवविविधता क्विज 2020'' का आयोजन मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल, मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग व वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मान. डॉ कुंवर विजय शाह, वन मंत्री व मान. इंदर सिंह परमार, राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 18.08.2020 को किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में कोविड–19 जनित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता क्विज़–2020 की जिला स्तरीय आयोजन दिनांक 05 अक्टूबर 2020 (वन्यप्राणी सप्ताह के दौरान) को ऑनलाईन किया गया।

मान. वन मंत्री, मान. शिक्षा मंत्री द्वारा क्विज़ पोस्टर व पोर्टल का विमोचन

प्रतियोगिता के लेवल–1 में बहुवैकल्पिक प्रश्न तथा लेवल–2 में मल्टीमिडिया क्विज़ प्रश्न सम्मिलित किये गये। प्रदेश के 52 जिलों के 4,392 विद्यालयीन टीम के 13,176 छात्र–छात्राओं द्वारा लेवल –1 में प्रतिभागिता भाग लिया गया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में लेवल–1 की विजेता प्रथम 7 टीमों को लेवल–2 में मल्टीमिडिया हेतु चयनित किया गया। समस्त 52 जिलों से लेवल–2 में मल्टीमिडिया क्विज़ में कुल 364 टीमों के 1,092 छात्र–छात्राओं की गयी। मध्यप्रदेश राज्य ऑनलाईन जैवविविधता क्विज़–2020 में लेवल–2 मल्टीमिडिया क्विज परिणाम के आधार पर जिले की प्रथम 3 टीमों (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) को जिला स्तरीय क्विज़ विजेता घोषित किया गया।

मध्यप्रदेश राज्य ऑनलाईन जैवविविधता क्विज़–2020 के जिला पुरस्कार का विवरण निम्नानुसार है –

कार्यक्रम	पुरस्कारों का विवरण
जिला स्तरीय मध्यप्रदेश राज्य जैव. विविधता ऑनलाईन क्विज़–2020	प्रथम विजेता टीम : रु. 3,000/– द्वितीय विजेता टीमः रु. 2,100/– तृतीय विजेता टीमः रु. 1,500/–

इसी क्रम में प्रतियोगिता का **राज्य स्तरीय मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता क्विज़–2020 का आयोजन दिनांक 24 अक्टूबर 2020 (International Day for Climate Change)** के उपलक्ष्य में ऑनलाईन आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिला स्तरीय मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता क्विज़–2020 के परिणाम के आधार पर जिले की प्रथम विजेता टीम द्वारा **राज्य स्तरीय मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता ऑनलाईन क्विज़–2020** में भाग लिया गया।

प्रतियोगिता में प्रदेश की 52 विद्यालयीन टीमों के 156 छात्र–छात्राओं द्वारा प्रातः 10.00– 11.00 बजे तक लेवल–1 (बहुवैकल्पिक प्रश्न) तथा 11.30–12.00 बजे तक लेवल–2 (मल्टीमिडिया) में ऑनलाईन प्रतिभागिता की गयी। **राज्य स्तरीय मध्यप्रदेश राज्य ऑनलाईन जैवविविधता क्विज़–2020 के परिणाम व पुरस्कार का विवरण निम्नानुसार है –**

क्रमांक	विजेता टीम/ विद्यालय	सम्मिलित विद्यार्थी का नाम	पुरस्कारों का विवरण
1.	शास. उत्कृष्ट विद्यालय, सीधी	1.विदित तिवारी 2. नंदनी सिंह चौहान 3.तानिया बानो	**प्रथम विजेता टीम : रु. 30,000/– व 03 टेबलेट**
2.	द शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल, इंदौर	1. शान चड्ढ़ा 2. श्रेया सिन्हा 3. ईशान महेश्वरी	**द्वितीय विजेता टीमः रु. 21,000/– व 03 मोबाईल**
3.	दिल्ली पब्लिक स्कूल, विंध्यनगर, सिंगरौली	1. प्रभांशु मिश्रा 2. अवधेश महापात्रा 3. आयुष्मान सिंह	**तृतीय विजेता टीमः रु. 15,000/– व 03 डिजिटल वॉच**

मध्यप्रदेश राज्य ऑनलाईन जैवविविधता क्विज़–2020 कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से 15,388 तथा अप्रत्यक्ष रूप से 5,36,261 (सोशल मीडिया) सहित के माध्यम से कुल 5,51,649 छात्र–छात्राओं, शिक्षकों, अधिकारियों व आमजन लाभांवित हुये, जिसका विवरण निम्नानुसार है –

क्र.	विवरण	लाभांवित संख्या	कुल योग (संख्या)
1	**जिला स्तर प्रतियोगिता**		
	विद्यालयीन टीम	4,384 टीम के 13,152 विद्यार्थी	**13,152**
	सहयोगी वन विभाग के प्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि, क्विज मास्टर	1,040	**1,040**
2	**राज्य स्तर प्रतियोगिता**		
	विद्यालयीन टीम	52 टीम के 156 विद्यार्थी	**156**
	सहयोगी वन विभाग के प्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि, क्विज मास्टर	1,040	**1,040**
3	**सोशल मीडिया**		
	यूट्यूब	5,18,479	**5,36,261**
	फेसबुक	5,389	
	इन्स्टाग्राम	12,393	
		महायोग	**5,51,649**

प्रथम
शास. उत्कृष्ट विद्यालय, सीधी

4.2 महत्वपूर्ण सांख्यिकी

वनों का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के वनों के क्षेत्रफल, घनत्व, प्रकार आदि से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नानुसार तालिकाओं में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 4.1
देश की तुलना में मध्य प्रदेश के वन

(वर्ग कि.मी.)

	भौगोलिक क्षेत्र	वनक्षेत्र	प्रतिशत वनक्षेत्र
भारत	32,87,263	7,67,416	23.34
मध्य प्रदेश	3,08,252	94,689	30.72

(स्त्रोत–स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019)

तालिका क्रमांक 4.2
प्रदेश के वनक्षेत्रों की वैधानिक स्थिति

(वर्ग कि.मी.)

वर्गीकरण	क्षेत्रफल	प्रतिशत
आरक्षित वन	61,886	65.36
संरक्षित वन	31,098	32.84
अन्य	1,705	1.80
योग	**94,689**	**100.00**

(स्त्रोत–स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019)

भारतीय वन सर्वेक्षण (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) देहरादून द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन के आधार पर प्रदेश में विगत तीन अध्ययनों में परिलक्षित वनावरण की स्थिति की तालिका क्रमांक 4.5 में दर्शित है। जिलेवार विवरण **परिशिष्ट–21** में सम्मिलित है।

तालिका क्रमांक 4.3
प्रदेश के वनों का घनत्व–वार क्षेत्रफल

(वर्ग कि.मी.)

वनों का प्रकार	प्रतिवेदन वर्ष		
	2015	**2017**	**2019**
अति सघन वन	6629	6563	6676
सामान्य सघन वन	34902	34571	34341
खुले वन	35931	36280	36465
योग	**77462**	**77414**	**77482**
(खुला रिक्त क्षेत्र) *	17227	17275	17207

*रिक्त खुला क्षेत्र– ऐसे वन जिनका घनत्व 0.1 से कम है। इसका उल्लेख स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में नहीं है।

प्रदेश में वनों के प्रकार तथा क्षेत्रफल का विवरण तालिका क्रमांक 4.6 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 4.4
प्रदेश के वनों के प्रकार और क्षेत्रफल

(वर्ग कि.मी.)

संरचना	क्षेत्रफल	प्रतिशत
सागौन	18,332	19.36
साल	3,932	4.15
मिश्रित एंव अन्य	55436	58.49
रिक्त (खुला क्षेत्र)	16989	18.00
योग	**94,689**	**100.00**

(बांस वनक्षेत्र 13059 वर्ग कि.मी. अतिव्यापी क्षेत्र)

नोटः– मध्यप्रदेश के वनों के संबंध में भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन वर्ष 2019 संस्थान के वेबसाइट www.fsi.nic. पर उपलब्ध है।

भाग–5
विभाग के प्रकाशन

1. क्षेत्रीय वन ईकाईयों में गठित जैवविविधता प्रकोष्ठ की क्षमता वृद्धि हेतु **''जैवविविधता अधिनियम, सरल मार्गदर्शिका एवं लाभ प्रभाजन : मध्यप्रदेश मॉडल, प्रदेश के व्यापारात्मक जैव संसाधनों की क्षमता व अनुमान''** नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है।
2. **मध्यप्रदेश जैवविविधता रणनीति व कार्ययोजना 2018–30 (Madhya Pradesh Biodiversity Strategic and Action Plan 2018-2030 – MPBSAP)** का प्रकाशन किया गया है।
3. **Panna 10 Years : Panna Tiger Festival 2009-2019** नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है।

भाग–6
परिशिष्ट

परिशिष्ट – 1

क्षेत्रीय इकाईयों का विवरण

अ. क्र.	वृत्त का नाम	क्षेत्रीय वनमण्डल	उत्पादन	अनुसंधान विस्तार वृत्त	कार्य आयोजना	वन विद्यालय
1	बालाघाट	बालाघाट, उत्तर बालाघाट दक्षिण बालाघाट	उत्तर बालाघाट दक्षिण बालाघाट	–	बालाघाट	प्राचार्य रेंजर्स कालेज, बालाघाट
2	बैतूल	उत्तर बैतूल, दक्षिण बैतूल, पश्चिम बैतूल	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बैतूल
3	भोपाल	भोपाल, सीहोर, औबेदुल्लागंज, विदिशा, रायसेन, राजगढ़	रायसेन	भोपाल	भोपाल	–
4	छतरपुर	छतरपुर, उत्तर पन्ना, दक्षिण पन्ना, टीकमगढ़	–	–	छतरपुर	–
5	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा, पूर्व छिन्दवाड़ा, पश्चिम छिन्दवाड़ा, दक्षिण छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	–	छिन्दवाड़ा	–
6	ग्वालियर	ग्वालियर, दतिया, भिण्ड, मुरैना, श्योपुरकलां	–	ग्वालियर	ग्वालियर	–
7	होशंगाबाद	होशंगाबाद, हरदा	हरदा	–	होशंगाबाद	पचमढ़ी
8	इन्दौर	इन्दौर, धार, झाबुआ, अलीरापुर	–	इन्दौर	इन्दौर	
9	जबलपुर	जबलपुर, कटनी, पश्चिम मण्डला, पूर्व मण्डला, डिण्डौरी	डिण्डोरी मण्डला	जबलपुर	जबलपुर	–
10	खण्डवा	खण्डवा, बुरहानपुर, खरगौन, बड़वाह, बड़वानी, सेंधवा	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	–
11	रीवा	रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली	–	रीवा	रीवा	गोविन्दगढ़
12	सागर	सागर, उत्तर सागर, दक्षिण सागर, दमोह	–	सागर	सागर	–
13	सिवनी	सिवनी, उत्तर सिवनी दक्षिण सिवनी, नरसिंहपुर	सिवनी, देवास	सिवनी	सिवनी	–
14	शहडोल	शहडोल, उत्तर शहडोल, दक्षिण शहडोल, उमरिया, अनूपपुर	–	–	शहडोल	अमरकंटक
15	शिवपुरी	शिवपुरी, गुना, अशोकनगर	–	–	शिवपुरी	शिवपुरी
16	उज्जैन	उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास	देवास	रतलाम	उज्जैन	–
17	विक्रय वनमण्डल नई दिल्ली	–	विक्रय वनमण्डल, नई दिल्ली	–	–	–

मध्यप्रदेश वन विभाग में कार्यपालिक पदों की वृतवार, पदवार जानकारी निम्नानुसार है:–

क्र.	वन वृत्त का नाम	कार्य पालिक अमला							
		वनक्षेत्रपाल		उपवनक्षेत्रपाल		वनपाल		वनरक्षक	
		स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.
1	बालाघाट	56	28	72	49	243	187	815	664
2	बैतूल	62	21	66	32	221	168	740	587
3	भोपाल	118	74	106	61	360	210	1197	1081
4	छतरपुर	71	47	78	36	260	168	870	770
5	छिंदवाड़ा	55	42	64	25	212	161	710	684
6	ग्वालियर	72	39	73	32	242	130	810	752
7	होशंगाबाद	61	46	66	37	221	162	740	648
8	इन्दौर	63	39	64	30	212	130	710	648
9	जबलपुर	119	73	121	57	403	262	1345	1327
10	खण्डवा	104	64	112	49	372	241	1244	1003
11	रीवा	97	54	83	27	276	159	927	852
12	सागर	64	49	72	49	240	174	800	669
13	सिवनी	73	51	76	45	254	199	850	769
14	शहडोल	68	53	71	43	234	156	780	729
15	शिवपुरी	45	29	63	39	210	126	700	648
16	उज्जैन	66	44	71	36	234	147	780	669
17	मुख्यालय	0	0	0	0	0	0	6	0
	योग	**1194**	**753**	**1258**	**647**	**4194**	**2780**	**14024**	**12500**

मध्यप्रदेश वन विभाग में लिपिकीय पदों की वृतवार, पदवार जानकारी निम्नानुसार

क्र.	वन वृत्त का नाम	लिपिकीय																	
		मानचित्रकार		शीघ्रलेखक		अधीक्षक		लेखा अधीक्षक		सहायक ग्रेड–1		लेखापाल		सहायक ग्रेड–2		सहायक ग्रेड–3 (पदोन्नति)		सहायक ग्रेड–3 (सीधी भर्ती)	
		स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.
1	बालाघाट	9	9	8	6	1	0	1	1	9	5	11	10	17	12	17	9	50	49
2	बैतूल	8	7	8	7	1	0	3	2	9	2	11	5	17	9	17	11	50	40
3	भोपाल	23	23	13	7	2	1	3	1	18	16	23	15	36	17	35	22	105	95
4	छतरपुर	11	6	8	3	1	0	2	2	8	4	10	5	15	9	14	10	44	42
5	छिंदवाड़ा	8	7	8	2	1	0	1	1	10	4	13	13	20	13	19	6	58	58
6	ग्वालियर	16	14	10	6	1	1	3	0	12	3	15	7	24	10	24	11	70	48
7	होशंगाबाद	7	7	5	0	1	0	2	1	7	6	9	8	17	11	15	9	43	36
8	इन्दौर	10	9	10	2	1	0	2	0	10	5	12	8	18	11	19	11	55	59
9	जबलपुर	13	13	13	6	1	0	3	2	16	3	21	18	34	23	34	16	99	100
10	खण्डवा	17	17	9	4	1	1	2	1	15	7	20	14	29	19	29	16	87	78
11	रीवा	10	5	8	4	1	1	1	0	11	2	14	9	22	15	21	18	64	62
12	सागर	10	9	7	2	1	0	1	0	9	2	12	5	17	6	18	14	52	48
13	सिवनी	11	11	10	5	1	0	2	2	10	7	13	9	20	18	20	17	61	58
14	शहडोल	12	8	9	2	1	0	1	1	8	4	10	7	16	27	16	10	50	42
15	शिवपुरी	13	13	7	2	1	1	2	1	9	6	11	7	17	9	16	8	49	46
16	उज्जैन	15	15	7	3	1	1	3	1	11	2	12	11	19	12	19	11	57	54
17	मुख्यालय	10	12	57	40	18	16	43	42	20	5	27	27	41	21	40	23	120	103
	योग	**203**	**185**	**197**	**101**	**35**	**22**	**75**	**58**	**192**	**83**	**244**	**178**	**379**	**242**	**373**	**222**	**1114**	**1018**

परिशिष्ट–4

मध्यप्रदेश वन विभाग में चतुर्थ श्रेणी पदों की वृत्तवार, पदवार जानकारी निम्नानुसार है:–

क्र.	वन वृत्त का नाम	विविध								चतुर्थ श्रेणी					
		वाहन चालक		सहायक महावत		महावत		मुख्य महावत		सुपरवाईजर		दफतरी		भृत्य	
		स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.
1	बालाघाट	35	22	0	0	0	0	0	0	1	0	7	7	34	23
2	बैतूल	36	18	0	0	0	0	0	0	1	1	13	8	61	49
3	भोपाल	68	44	0	0	0	0	0	0	1	1	13	6	65	54
4	छतरपुर	26	11	6	1	4	1	2	0	1	0	8	1	37	28
5	छिंदवाड़ा	33	17	0	0	0	0	0	0	1	0	6	4	28	26
6	ग्वालियर	29	20	0	0	0	0	0	0	1	0	12	4	58	44
7	होशंगाबाद	21	15	6	5	4	0	2	0	1	1	7	4	35	22
8	इन्दौर	25	15	0	0	0	0	0	0	1	0	14	5	66	55
9	जबलपुर	50	26	17	15	11	4	6	2	1	0	17	5	84	71
10	खण्डवा	41	22	0	0	0	0	0	0	1	0	15	6	78	62
11	रीवा	36	19	3	0	3	0	0	0	1	1	13	10	66	46
12	सागर	24	10	0	0	0	0	0	0	1	1	9	7	43	31
13	सिवनी	20	9	5	2	4	0	1	0	1	0	11	7	50	32
14	शहडोल	33	19	12	7	9	9	3	1	1	1	9	3	45	36
15	शिवपुरी	18	7	0	0	0	0	0	0	1	1	9	3	43	34
16	उज्जैन	23	8	0	0	0	0	0	0	1	1	12	6	58	48
17	मुख्यालय	95	44	0	0	0	0	0	0	1	1	20	10	99	59
योग		**613**	**326**	**49**	**30**	**35**	**14**	**14**	**3**	**17**	**9**	**195**	**96**	**950**	**720**

परिशिष्ट –5

वर्षवार विभिन्न गैर वानिकी कार्यों के उपयोग हेतु व्यपवर्तित वन भूमि

(दिसम्बर 2020 की स्थिति में)

वर्ष	सिंचाई	विद्युत	खनिज	विविध	योग	व्यपवर्तित वन भूमि (हे.)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1980	0	0	0	0	0	0
1981	0	0	0	0	0	0
1982	0	0	2	1	3	7.919
1983	5	3	9	2	19	901.739
1984	7	5	1	0	13	1459.665
1985	14	3	1	3	21	6721.568
1986	4	1	2	4	11	1530.611
1987	5	5	4	3	17	48412.55
1988	5	2	3	4	14	1204.912
1989	13	12	3	8	36	7821.781
1990	21	9	6	46	82	134447.649
1991	2	2	9	2	15	317.114
1992	19	1	15	6	41	732.405
1993	8	3	6	1	18	17218.725
1994	6	25	14	3	48	1139.181
1995	7	18	14	8	47	4059.038
1996	4	32	5	1	42	739.100
1997	6	24	16	3	49	6932.018
1998	1	16	7	2	26	573.942
1999	6	4	18	1	29	1813.926
2000	2	5	9	10	26	337.207
2001	3	1	3	2	9	653.799

2002	7	3	11	10	31	2165.301
2003	10	4	3	5	22	1336.176
2004	1	2	1	2	6	6261.702
2005	3	11	4	6	24	1425.028
2006	3	8	2	10	23	1090.954
2007	1	11	11	13	36	755.938
2008	5	3	9	11	28	1012.082
2009	6	13	6	21	46	1841.181
2010	4	3	8	16	31	2030.876
2011	8	6	4	17	35	1132.361
2012	7	10	7	14	38	2506.737
2013	4	10	4	13	31	1233.385
2014	29	7	1	5	42	3413.153
2015	13	11	4	15	43	3073.019
2016	8	3	5	6	22	975.196
2017	3	0	3	13	19	3264.388
2018	18	8	1	16	43	7034.191
2019	5	8	5	10	28	1682.997
2020	6	13	1	29	49	4872.471
Total	**279**	**305**	**237**	**342**	**1163**	**284131.985**

वर्ष 2020 में अंतिम चरण स्वीकृति प्राप्त महत्वपूर्ण प्रकरण

(दिसम्बर 2020 की स्थिति में)

क्र.	परियोजना/आवेदक का नाम	दिनांक	वृत्त	वनमंडल	व्यपवर्तित वन भूमि (हेक्टेयर में)		
					वन भूमि	राजस्व वन	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bhawsa Medium Irrigation Tank Project	28-02-2020	Khandwa	Burhanpur	275.040	0.000	275.040
2	765 Kv Dc Vindhyachal Pooling To Jabalpur Pooling Transmission Line	18-09-2020	Rewa	Singrauli - 150.0465 Sidhi - 51.925 Satna - 39.128	241.100	0.000	241.100
3	Barkhera-Budni 3Rd Railway Line	17-08-2020	Bhopal	Sehore- 108.42 Obedullaganj- 100.54	208.960	0.000	208.960
4	765 Kv D/C Vindhyachal-Varanasi Transmission Line Powergrid Varanasi Transmission System Ltd.	18-09-2020	Rewa	Singrauli - 167.024 Sidhi - 14.854 Rewa - 24.564	206.442	0.000	206.442
5	Isp Kalisindh Link Project Phase-I	28-07-2020	Khandwa Ujjani	Khandwa- 71.784 Dewas - 88.271	160.055	0.000	160.055
6	Construction Of Eight Lane Road (Newly Declared Nh 148N) From Kher Khunta Village In Ratlam District In The State Of Madhya Pradesh To Dod-ka Village In Vadodara District In The State Of Gujarat From Ch: 181+000 To 392+492 (Sub Package- 3). This Is A Part Of Delhi Mumbai Express Way Under Bharatmala Pariyojana. (Online 141.080 Jhabua & 7.528 Ratlam)	19-06-2020	Indore Ujjain	Ratlam - 7.5286 Jhabua - 137.0159	148.608	0.000	148.608
7	Satna-Panna New B.G Railway Line (74 Km), A Part Of Lalitpur-Singrauli, Mahoba Khajuraho Railline Project (541 Km)	13-10-2020	Chhatar-pur	Panna North	99.879	0.000	99.879
8	Narmada-Jhabua-Petlawad-Thandla-Sardarpur Micro Lift Irrigation Scheme	31-08-2020	Indore	Dhar- 48.743 Jhabua-18.341 Alirajpur- 1.666	68.750	0.000	68.750
9	Construction Of Eight Lane Road (Newly Declared Nh-148N) From Kan-darwasa Village To Kher Khunta Village In Ratlam District From Ch:150+000 To 181+000 (31 Km) In The State Of Madhya Pradesh (Sub Package-2, Part Of Delhi-Mumbai Expressway)	10-07-2020	Ujjain	Ratlam	50.601	0.000	50.601

वर्ष 2020–21 मे प्राधिकरण के अंतर्गत प्रचलित कार्यों की सूची

क्र.	कार्य का नाम एवं भौतिक लक्ष्य	आर्थिक लक्ष्य राशि (करोड़ में)
1	2	3
1	प्रतिपूरक वनीकरण (Committed Liabilities) 30559.13 Ha. 129.597 k.m	87.90
2	नवीन प्रतिपूरक वनीकरण – 2747.45 हे0	68.81
3	आवाह क्षेत्र शोधन योजना (CATP) – 7362 हे0	4.39
4	संचालन समिति की 6वीं बैठक दिनांक 07.11.2015 मे अनुमोदित वृक्षारोपणों का रख रखाव वर्ष 2020–21 (रकबा 9659 हे0)	5.2653
5	CAF Rules 2018 के अंतर्गत राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति की प्रथम बैठक दिनांक 03.11.2018 मे अनुमोदित वृक्षारोपणों का रखरखाव वर्ष 2020–21 (रकबा 8576 हे.)	12.0598
6	CAF Rules 2018 के अंतर्गत राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 02.02.2019 मे अनुमोदित वृक्षारोपणों का रखरखाव वर्ष 2020–21	
	6(i) मिश्रित वृक्षारोपण (रकबा 7194.43 हे0)	19.4905
	6(ii) बिगड़े वनों के अंतर्गत वृक्षारोपण का रखरखाव – राज्य वन विकास निगम द्वारा (रकबा 1377.51 हे0)	3.58
	6(iii) ऊर्जा वन (रकबा 6250 हे0)	3.125
	6(iv) नीमच एवं धार वनमंडल अंतर्गत खरमोर पक्षी के संरक्षण के द्वितीय वर्ष के कार्य	0.1425
	6(v) वर्ष 2019–20 के लिये मिश्रित वृक्षारोपण, वन विहीन एवं बांस वृक्षारोपण के अति रिक्त प्रस्तावों का रखरखाव (रकबा 5381.50 हे0)	13.36
	6(vi) रूद्राक्ष वृक्षारोपण (रकबा 5 हे0)	0.0419
	6(vii) शीशम वृक्षारोपण (रकबा 5 हे0)	0.0461
7	कृत्रिम पुनरूज्जीवन	
	(क) विभिन्न क्षेत्रीय वनमंडलों अंतर्गत (रकबा 22371.25 हे0) –मिश्रित वृक्षारोपण, जलाउ वृक्षारोपण	209.31
	(ख) संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत वृक्षारोपण – 1858.54 हे0	3.41
	(ग) राज्य वन विकास निगम द्वारा (रकबा 4822.58 हे0) क्षेत्र तैयारी + वृक्षारोपण	36.57
	(घ) वृक्ष विहीन पहाड़ी को हरा भरा करना (रकबा 2440.69 हे0)	28.31
	(ड़) क्षेत्रीय वनमंडलों द्वारा–बिगडे वनों का सुधार (6194.51 हे0)	22.52

8	वनो मे वन – वर्धन संबंधी कार्यकलाप (बांस वनों का सुधार)	
	बांस वनों का सुधार एवं वृक्षारोपण (56105.56 हे0)	30.95
9	वनो का संरक्षण	
	(क) वनों का संरक्षण –(वन उपज जांच नाका, लाईन क्वार्टर, वॉच टॉवर, पेट्रोलिंग कैम्प, वनसुरक्षा संसाधनों का प्रबंधन एवं वन सुरक्षा सुदृढ़ीकरण)	10.65
	(ख) वन सुरक्षा संसाधनों हेतु – पेट्रोलिंग के लिये वाहन, ड्रोन इत्यादि	22.11
	(ग) मुनारा निर्माण – (संख्या – 25098)	12.55
10	दावानल निवारण और नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप – संरक्षित क्षेत्र मे अग्नि सुरक्षा कार्य	14.698
11	वनों मे मृदा और आर्द्रता संरक्षण संबंधी कार्य	
	(अ) जल ग्रहण क्षेत्र उपचार (रकबा 10163.28 हे0)	35.63
12	वन्यजीव पर्यावास का सुधार – चारागाह विकास एवं अन्य कार्य	50.99
13	(अ) जैव विविधता तथा जैव संसाधनों का प्रबंधन – जैव विविधता पंजी का निर्माण एवं जैव विविधता प्रबंधन समितियों का क्षमता विकास	9.15
14	गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए आधुनिक पौधशालाओं और अन्य रोपण स्टॉक उत्पादन सुविधाओं की स्थापना, उन्नयन और अनुरक्षण एवं मान बांध स्थल (जीराबाद) जिला धार मे नवीन रोपणी स्थापना	7.832
15	निरीक्षण मार्गों, वन क्षेत्र मे वन सड़कों, अग्नि रेखाओं, निगरानी टावरों चेक पोस्टों और इमारती लकड़ी के डिपों का संनिर्माण उन्नयन और अनुरक्षण	
	(स) काष्ठागारों की अद्योसंरचना का उन्नयन	11.07
16	वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिये नियुक्त किए गए अग्रिम पंक्ति के स्टाफ के लिए वनों में आवास एवं कार्यालय निर्माण –193 (क्षेत्रीय वनमंडलों अंतर्गत 160 भवन एवं वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत 33 भवन कुल 19.49 करोड़ रुपये)	19.49
17	राज्य निधि के उपयोग मे सम्मिलित कार्मिकों की क्षमता निर्माण	5.00
	महायोग	**748.45**

वृत्तवार/ वर्षवार अवैध कटाई के प्रकरण

अ. क.	वृत्त	2017	2018	2019	2020 (नवम्बर तक)
1	बालाघाट	2478	2623	2315	2288
2	बैतूल	4036	3762	3413	3419
3	भोपाल	8042	7497	4576	4003
4	छतरपुर	3799	3680	3590	3571
5	छिंदवाड़ा	3853	3208	3662	3539
6	ग्वालियर	1274	1058	1008	1196
7	होशंगाबाद	1437	1339	1386	1039
8	इंदौर	861	1076	1097	1401
9	जबलपुर	8380	587	5338	5463
10	खण्डवा	3478	2844	2591	2614
11	रीवा	2210	2338	2247	2414
12	सागर	4121	4697	3482	3421
13	सिवनी	2882	3061	3054	3071
14	शहडोल	2967	2658	2812	2883
15	शिवपुरी	952	888	737	875
16	उज्जैन	2013	1998	2110	1909
17	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	379	270	278	212
18	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	609	0	636	699
19	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	15	0	51	69
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	49	23	23	48
21	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	350	201	201	275
22	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	281	0	208	223
23	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	31	0	77	157
24	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	48	0	0	9
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0
	महायोग	**54545**	**43808**	**44892**	**44798**

वृत्तवार/ वर्षवार अवैध चराई के प्रकरण

अ. क.	वृत्त	2017	2018	2019	2020 (नवम्बर तक)
1	बालाघाट	12	2	1	3
2	बैतूल	3	5	2	4
3	भोपाल	57	19	1	4
4	छतरपुर	12	2	1	2
5	छिंदवाड़ा	6	6	1	1
6	ग्वालियर	173	83	163	246
7	होशंगाबाद	21	8	7	1
8	इंदौर	19	26	22	7
9	जबलपुर	3	1	8	9
10	खण्डवा	203	89	98	61
11	रीवा	33	14	37	17
12	सागर	5	31	17	2
13	सिवनी	10	21	5	4
14	शहडोल	6	4	6	6
15	शिवपुरी	22	19	9	2
16	उज्जैन	239	254	236	239
17	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	0	0	0	1
18	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	1	0	1	0
19	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	8	0	13	10
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	10	10	10	39
21	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	60	22	22	28
22	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	0	0	0	0
23	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	13	0	2	0
24	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	0	0	0	0
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0
	महायोग	**916**	**616**	**662**	**686**

वृत्तवार, वर्षवार अवैध परिवहन के दर्ज प्रकरण

अ. क्र.	वृत्त	2017	2018	2019	2020 (नवम्बर तक)
1	बालाघाट	54	37	50	55
2	बैतूल	25	23	26	49
3	भोपाल	229	327	282	226
4	छतरपुर	99	91	67	74
5	छिंदवाड़ा	15	39	11	45
6	ग्वालियर	219	139	143	73
7	होशंगाबाद	33	20	25	19
8	इंदौर	25	21	34	62
9	जबलपुर	33	12	44	55
10	खण्डवा	192	118	124	97
11	रीवा	156	141	109	141
12	सागर	136	190	111	66
13	सिवनी	54	57	68	66
14	शहडोल	90	80	89	97
15	शिवपुरी	236	213	143	158
16	उज्जैन	45	25	78	126
17	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	5	6	6	5
18	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	5	0	3	3
19	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	13	0	16	25
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	0	0	0	0
21	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	9	22	22	7
22	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	6	0	6	13
23	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	101	0	54	3
24	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	2	0	0	0
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0
	योग	**1782**	**1561**	**1511**	**1465**

परिशिष्ट–11

वृत्त वार/ वर्षवार अतिकमण के प्रकरण एवं प्रभावित क्षेत्र

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

अ. क्र.	वृत्त	2017		2018		2019		2020 (नवम्बर तक)	
		प्रकरण	अतिकमित क्षेत्र	प्रकरण	अतिकमित क्षेत्र	प्रकरण	अतिकमित क्षेत्र	प्रकरण	अतिकमित क्षेत्र
1	बालाघाट	16	6	9	7	80	242	17	37
2	बैतूल	19	66	5	1	154	47	6	26
3	भोपाल	182	79	71	38	145	113	139	108
4	छतरपुर	77	44	22	25	75	57	144	161
5	छिंदवाड़ा	10	4	3	4	0	0	2	0
6	ग्वालियर	246	295	135	112	178	198	156	140
7	होशंगाबाद	12	13	16	9	131	220	10	19
8	इंदौर	44	26	67	28	76	51	189	119
9	जबलपुर	15	11	13	11	29	54	50	46
10	खण्डवा	61	25	290	1183	117	760	62	282
11	रीवा	182	102	173	75	189	71	324	184
12	सागर	177	345	65	85	256	219	100	237
13	सिवनी	40	59	32	39	50	87	27	69
14	शहडोल	109	27	71	42	81	62	76	33
15	शिवपुरी	118	249	107	258	534	977	294	551
16	उज्जैन	28	20	28	15	32	24	53	52
17	बांधवगढ़ टा.रि.उमरिया	2	1	1	0	10	6	7	2
18	कान्हा टा.रि. मण्डला	0	0	0	0	1	4	0	0
19	कुनो वन्यप्राणी व.म. श्योपुर	2	3	0 0	0	6	12	2	2
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	0	0	0	0	4	0	3	4
21	पन्ना टा.रि. छतरपुर	2	0	22	41	22	41	8	13
22	पेच टा.रि. सिवनी	0	0	0	0	0	0	1	0
23	सजंय टा.रि.सीधी	1	0	0	0	0	0	5	3
24	सतपुड़ा टा.रि. पचमढ़ी	1	1	0	0	0	0	2	0
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग	**1344**	**1376**	**1134**	**1973**	**2167**	**3245**	**1677**	**2087**

वृत्तवार / वर्षवार अवैध उत्खनन के प्रकरण एवं प्रभावित क्षेत्र (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

अ. क.	वृत्त	2017		2018		2019		2020 (नवम्बर तक)	
		प्रकरण	उत्खनित क्षेत्र	प्रकरण	उत्खनित क्षेत्र	प्रकरण	उत्खनित क्षेत्र	प्रकरण	उत्खनित क्षेत्र
1	बालाघाट	6	7	10	2	17	151	12	10
2	बैतूल	20	0	6	1	2	1	9	1
3	भोपाल	232	23	70	19	56	8	41	52
4	छतरपुर	99	6	94	146	100	88	168	8
5	छिंदवाड़ा	11	98	5	362	4	0	5	78
6	ग्वालियर	445	104	331	20	334	822	296	5
7	होशंगाबाद	6	6	4	0	6	4	2	1
8	इंदौर	5	0	11	47	9	3847	12	0
9	जबलपुर	17	227	12	1	14	1	17	8
10	खण्डवा	24	17	30	1339	21	77	24	44
11	रीवा	57	5	58	1098	39	241	47	131
12	सागर	60	5	47	35	38	1	47	4
13	सिवनी	7	1	8	18	6	1	9	0
14	शहडोल	43	930	30	4	39	22	37	9
15	शिवपुरी	145	69	147	16	243	106	255	20
16	उज्जैन	17	1	11	0	19	0	28	1
17	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	0	0	7	0	3	0	4	1
18	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	1	0	0	0	0	0	2	3
19	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	0	0	0	0	0	0	2	0
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	1	0	1	1	7	1	13	0
21	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	4	0	0	0	0	0	7	3
22	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	0	0	0	0	0	0	3	0
23	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	0	0	0	0	5	0	53	0
24	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	1	0	0	0	0	0	0	0
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग	**1207**	**1497**	**888**	**3109**	**973**	**5371**	**1093**	**379**

वृत्तवार दर्ज वन अपराध प्रकरण

अ. क.	वृत्त	2017	2018	2019	2020 (नवम्बर तक)
1	बालाघाट	3711	3607	2948	2536
2	बैतूल	4447	4370	4025	3566
3	भोपाल	9702	8496	5691	4647
4	छतरपुर	4310	4023	4149	4131
5	छिंदवाड़ा	4376	3585	4298	3779
6	ग्वालियर	2590	1864	1963	2123
7	होशंगाबाद	1687	1622	1862	1149
8	इंदौर	1016	1306	1385	1806
9	जबलपुर	9542	746	5910	5853
10	खण्डवा	4971	3814	3510	3219
11	रीवा	2818	2896	2770	3055
12	सागर	4739	5244	4092	3810
13	सिवनी	3322	3429	3603	3288
14	शहडोल	3550	3082	3362	3249
15	शिवपुरी	1662	1480	1885	1667
16	उज्जैन	2743	2569	2854	2541
17	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	440	303	330	264
18	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	734	0	772	734
19	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	117	0	154	152
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	122	107	151	146
21	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	537	354	354	390
22	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	311	0	251	274
23	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	156	0	198	244
24	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	107	0	0	17
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0
	योग	**67716**	**52909**	**56512**	**52640**

वृत्तवार अवैध परिवहन में जप्त वाहन

अ. क.	वृत्त	2017	2018	2019	2020 (नवम्बर तक)
1	बालाघाट	51	12	49	35
2	बैतूल	26	15	30	27
3	भोपाल	198	134	312	35
4	छतरपुर	103	33	58	103
5	छिंदवाड़ा	15	34	11	29
6	ग्वालियर	233	35	136	90
7	होशंगाबाद	37	6	25	14
8	इंदौर	21	12	33	54
9	जबलपुर	39	34	45	37
10	खण्डवा	127	18	83	91
11	रीवा	174	66	129	98
12	सागर	109	21	99	72
13	सिवनी	51	28	59	53
14	शहडोल	97	59	91	72
15	शिवपुरी	253	71	282	129
16	उज्जैन	44	11	71	82
17	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	5	7	6	11
18	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	5	4	3	6
19	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	14	0	18	5
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	0	0	0	5
21	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	9	8	19	11
22	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	6	0	0	26
23	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	101	4	54	61
24	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	1	0	0	2
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0
	महायोग	**1719**	**605**	**1613**	**1285**

वृत्तवार न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण

अ. क.	वृत्त	2017	2018	2019	2020 (अंतरिम)
1	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	9	103	9	7
2	शहडोल	152	99	168	64
3	खण्डवा	72	72	95	44
4	इंदौर	52	125	89	61
5	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	23	8	248	81
6	बालाघाट	236	30	262	25
7	बैतूल	186	37	35	4
8	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	33	20	23	23
9	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	17	07	22	21
10	शिवपुरी	128	90	61	23
11	सिवनी	103	64	42	39
12	छिंदवाड़ा	110	6	399	285
13	होशंगाबाद	28	12	15	60
14	भोपाल	229	67	233	150
15	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	15	100	16	15
16	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	150	36	143	0
17	रीवा	275	186	218	143
18	सागर	71	252	91	48
19	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	96	7	0	126
20	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	12	14	115	6
21	उज्जैन	54	29	45	5
22	छतरपुर	227	11	160	43
23	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0
24	जबलपुर	73	41	84	23
25	ग्वालियर	297	837	289	52
	योग	**2648**	**2253**	**2868**	**1638**

वन अपराध प्रशमन एवं अन्य विविध प्राप्तियॉ

(राशि रूपये में)

अ. क.	वृत्त	2017	2018	2019	2020 (अंतरिम)
1	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	0	0	155035	165628
2	शहडोल	20611311	27775995	5602860	39701208
3	खण्डवा	4482477	3186753	4032116	1611049
4	इंदौर	4475279	19477020	4378255	3486956
5	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	16253	94049	70735	75543
6	बालाघाट	5569469	2530679	3320849	1493257
7	बैतूल	37998976	30057208	22144314	27436752
8	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	584629	0	401694	401694
9	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	0	407100	407100	386100
10	शिवपुरी	5089725	3852780	5493399	2685471
11	सिवनी	3523140	2853362	3040671	1890932
12	छिंदवाड़ा	19837085	16534174	13126755	25313493
13	होशंगाबाद	11456385	2242700	2595394	1278838
14	भोपाल	18571583	20963357	22967050	9736116
15	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	224805	0	924501	206492
16	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	75120	6900	6900	0
17	रीवा	293605742	245799911	434739813	752258073
18	सागर	11364016	14015073	7931679	8883454
19	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	0	0	0	2551
20	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	1040350	0	68274	111325
21	उज्जैन	7302446	5791357	7964742	2660077
22	छतरपुर	12824498	15209115	11010101	2545086
23	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0
24	जबलपुर	5958148	6814980	6435439	3310202
25	ग्वालियर	12565615	2989085	3663430	6352961
	योगः–	**477552056**	**420601599**	**560514641**	**891993258**

वृत्तवार/वर्षवार अग्नि प्रभावित क्षेत्र

(प्रभावित क्षेत्र – हे.में)

अ. क.	वृत्त	2017	2018	2019	2020 (नवम्बर तक)
1	बालाघाट	2526	1353	1263	288
2	बैतूल	1351	1895	1777	250
3	भोपाल	1045	584	1678	307
4	छतरपुर	362	297	533	217
5	छिंदवाड़ा	1110	512	884	299
6	ग्वालियर	337	100	175	439
7	होशंगाबाद	484	514	493	44
8	इंदौर	71	322	567	301
9	जबलपुर	1783	233	894	350
10	खण्डवा	3150	1355	1633	1043
11	रीवा	135	253	142	71
12	सागर	588	688	367	400
13	सिवनी	470	510	471	94
14	शहडोल	678	540	526	146
15	शिवपुरी	426	73	326	223
16	उज्जैन	780	512	623	241
17	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	118	4	44	9
18	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	459	0	455	36
19	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	313	0	218	241
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	0	22	22	0
21	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	447	93	93	57
22	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	49	0	75	19
23	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	7	0	206	8
24	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	350	0	0	0
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0
	योग	**17039**	**9861**	**13482**	**4924**

वृत्तवार/ वर्षवार म.प्र. काष्ठ चिरान अधिनियम के उल्लंघन के प्रकरण

अ. क.	वृत्त	2017	2018	2019	2020 (नवम्बर तक)
1	बालाघाट	0	0	0	0
2	बैतूल	0	0	0	2
3	भोपाल	85	41	10	5
4	छतरपुर	14	5	2	6
5	छिंदवाड़ा	0	0	0	0
6	ग्वालियर	13	18	8	14
7	होशंगाबाद	1	0	0	0
8	इंदौर	3	2	3	2
9	जबलपुर	0	2	2	5
10	खण्डवा	6	25	0	2
11	रीवा	7	14	14	3
12	सागर	1	0	0	2
13	सिवनी	0	0	1	0
14	शहडोल	2	0	0	0
15	शिवपुरी	10	12	9	1
16	उज्जैन	28	19	27	8
17	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	30	0	0	0
18	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	0	0	0	0
19	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	0	0	0	0
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	0	0	0	0
21	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	0	0	0	0
22	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	0	0	0	0
23	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	0	0	0	0
24	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	0	0	0	0
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0
	महायोग	**200**	**138**	**76**	**50**

प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों की सूची

क्र.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	टिप्पणी
1	2	3
1	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	कान्हा टाइगर रिजर्व का भाग है।
2	बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का भाग है।
3	सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का भाग है।
4	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान	पन्ना टाइगर रिजर्व का भाग है।
5	पेंच राष्ट्रीय उद्यान	पेंच टाइगर रिजर्व का भाग है।
6	संजय राष्ट्रीय उद्यान	संजय टाइगर रिजर्व का भाग है।
7	माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी	
8	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल	
9	जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान घुघवा	
10	डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, धार	
11	कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान	
12	पनपथा अभयारण्य	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का भाग है।
13	पचमढ़ी अभयारण्य	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का भाग है।
14	बोरी अभयारण्य	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का भाग है।
15	गंगऊ अभयारण्य	पन्ना टाइगर रिजर्व का भाग है।
16	पेंच मोगली अभयारण्य	पेंच टाइगर रिजर्व का भाग है।
17	संजय दुबरी अभयारण्य	संजय टाइगर रिजर्व का भाग है।
18	बगदरा अभयारण्य	
19	केन घड़ियाल अभयारण्य	
20	सैलाना अभयारण्य	
21	सोन चिड़िया अभयारण्य घाटीगांव	
22	सोन घड़ियालय अभयारण्य	
23	गांधी सागर अभयारण्य	
24	करैरा अभयारण्य	

25	नौरादेही अभयारण्य	
26	राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य	
27	ओरछा अभयारण्य	
28	वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य	
29	फेन अभयारण्य	
30	नरसिंहगढ़ अभयारण्य	
31	रातापानी अभयारण्य	
32	सिंघोरी अभयारण्य	
33	खिवनी अभयारण्य	
34	सरदारपुर अभयारण्य	
35	रालामण्डल अभयारण्य	

परिशिष्ट – 20

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के शासकीय एवं अशासकीय सदस्य

1	अध्यक्ष	मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
2	पदेन सदस्य	कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्य प्रदेश, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
3	पदेन सदस्य	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
4	पदेन सदस्य	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, सतपुड़ा भवन, भोपाल
5	पदेन सदस्य	कुलपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
6	पदेन सदस्य	सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, भोपाल
7	अशासकीय सदस्य	रिक्त
8	अशासकीय सदस्य	रिक्त
9	अशासकीय सदस्य	रिक्त
10	अशासकीय सदस्य	रिक्त
11	अशासकीय सदस्य	रिक्त

भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून से प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार वनाच्छादन

(District wise Forest Cover)

(Area in km ^{2})

District	Geographical area	Very Dense Forest			Moderate Dense Forest			Open Forest		
		2015	2017	2019	2015	2017	2019	2015	2017	2019
Alirajpur	3182	-	0	0	-	212	211.82	-	463	472.6
Anuppur	3747	-	109	108.97	-	346	345.30	-	393	414.41
Ashoknagar	4674	-	0	0	-	270	266.08	-	430	422.96
Balaghat	9229	1326	1324	1409.25	2683	2700	2638.97	961	910	883.84
Barwani	5427	0	0	0	188	188	186.96	781	746	741.03
Betul	10043	201	197	230.34	1967	1981	1938.14	1402	1475	1495.22
Bhind	4459	0	0	0	29	29	28.55	69	79	78.20
Bhopal	2772	0	0	0	128	125	120.92	237	229	207.75
Burhanpur	3427	-	58	57.92	-	643	631.09	-	608	605.55
Chhatarpur	8687	184	184	184.06	821	818	817.52	738	743	756.97
Chhindwara	11815	575	577	576.94	2039	2033	2027.09	1917	1950	1983.98
Damoh	7306	2	2	2	862	847	845.79	1742	1745	1739.39
Datia	2902	0	0	0	78	92	92.11	79	107	110.17
Dewas	7020	13	12	12	952	942	936.85	926	962	1007.02
Dhar	8153	0	0	0	137	119	116.14	595	567	535.11
Dindori	7470	1032	1087	1086.94	1171	1278	1281.17	553	662	663.85
Khandwa (Nimar East)	7352	200	184	147.80	1820	1161	1156.8	1367	723	784.52
Guna	6390	2	2	2	698	419	414.33	1401	931	913.41
Gwalior	4560	1	1	1	328	330	329.23	864	869	890.95
Harda	3334	19	19	19	541	547	527.69	456	442	409.57
Hoshangabad	6703	274	272	271.89	1373	1375	1370.32	777	787	780.44
Indore	3898	0	0	0	369	349	349.08	335	330	329.65
Jabalpur	5211	36	41	41	514	507	502.50	620	591	570.43
Jhabua	3600	0	0	0	255	33	30.97	682	196	190.7

District	Geographical area	Very Dense Forest			Moderate Dense Forest			Open Forest		
		2015	2017	2019	2015	2017	2019	2015	2017	2019
Katni	4950	102	94	93.9	606	609	608.58	572	649	658.82
Mandla	5800	751	692	691.31	1204	1088	1091.05	880	789	795.15
Mandsaur	5535	0	0	0	40	40	40	220	204	201.59
Morena	4989	0	0	0	98	96	96.18	632	646	643.99
Narsingpur	5133	60	61	61	665	658	657.34	632	619	624.42
Neemuch	4256	0	0	0	121	116	120.64	700	667	675.05
Panna	7135	85	83	83.01	1497	1477	1478.26	1069	1107	1181.44
Raisen	8466	22	23	23	1331	1308	1306.51	1377	1346	1346.75
Rajgarh	6153	0	0	0	39	38	37.99	114	130	134.1
Ratlam	4861	0	0	0	4	3	2.53	54	52	57.32
Rewa	6314	65	61	61	397	387	386.58	315	330	333.57
Sagar	10252	2	1	1	1174	1144	1141.57	1714	1669	1651.97
Satna	7502	13	12	12	938	910	909.7	782	808	831.2
Sehore	6578	25	24	23.9	653	640	614.85	703	740	719.15
Seoni	8758	240	237	237.08	1802	1795	1791.14	1040	1071	1041.37
Shahdol	6205	244	122	122	1253	820	820.54	1222	980	1028.17
Shajapur	6195	0	0	0	5	3	2.44	24	43	60.91
Sheopur	6606	6	6	6	1393	1397	1395.23	2112	2083	2058.77
Shivpuri	10066	19	18	18	784	781	779.84	1630	1727	1742.08
Sidhi	4851	716	316	315.99	1931	884	884.30	1438	732	768.87
Singrauli	5675	-	398	394.41	-	1014	1002.52	-	777	783.20
Tikamgarh	5048	1	1	1	93	91	89.96	309	311	295.68
Ujjain	6091	0	0	0	4	3	2.60	26	24	33.62
Umaria	4076	411	379	378.31	1084	1101	1096.22	537	552	548.05
Vidisha	7371	1	1	1	361	348	344.91	502	454	431.55
Khargone (Nimar West)	8025	1	1	1	472	476	474.50	825	832	830.56
Total	**308252**	**6629**	**6599**	**6676.02**	**34902**	**34571**	**34341.4**	**35931**	**36280**	**36465.07**

(स्त्रोत–स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट)